संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

38

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

['मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' विषय पर समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

अड़तीसवाँ प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फरवरी, 2023/ माघ,1944 (शक)

अड़तीसवाँ प्रतिवेदन

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

['मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' विषय पर समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

09.02.2023 **को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।**
09.02.2023 **को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।**

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फरवरी, 2023/ माघ,1944 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iii)
अध्याय एक	प्रतिवेदन	
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है	
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है	
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं	

अनुबंध

एक.	समिति की 7 फरवरी, 2023 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश*	
दो.	समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	

*साइक्लोस्टाइल्ड प्रति के साथ मामला संलग्न नहीं है

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. सुश्री सुनीता दुग्गल
6. श्री जयदेव गल्ला
7. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
8. डॉ. सुकान्त मजूमदार
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर
13. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
14. श्री संजय सेठ
15. श्री गणेश सिंह
16. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
17. श्री शत्रुघ्न सिन्हा
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
20. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद[@]
21. श्री एस. जगतरक्षकन[$]

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
24. डॉ. जॉन ब्रिटास
25. श्री सैयद नासिर हुसैन
26. श्री इलयराजा
27. श्री जग्गेश
28. श्री प्रफुल्ल पटेल
29. श्री कार्तिकेय शर्मा
30. श्री जवाहर सरकार
31. श्री लहर सिंह सिरोया

सचिवालय

1. श्री सतपाल गुलाटी - संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ए. ज्योतिमणि - निदेशक
3. श्रीमती रिंकी सिंह - कार्यकारी अधिकारी

समिति का समाचार भाग दो –, दिनांक 4 अक्टूबर,2022 का पैरा संख्या 5288के तहत सितंबर 13, 2022 को गठन।

@डॉप्रसाद को विष्णु .के .एम . समाचार भाग दो –, दिनांक 12अक्टूबर,2022 का पैरा संख्या 5311के तहत डॉशशि थरूर के स्थान पर . नामनिर्देशित किया गया।

$ श्री एस .जगतरक्षकन को समाचार पत्र भाग-दो के पैरा संख्याक 5580दिनांक 8दिसंबर, 2022के तहत नामनिर्देशित किया गया।

प्राक्कथन

मैं, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' विषय पर समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह अड़तीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

.2 सत्ताईसवां प्रतिवेदन लोक सभा में 01 दिसंबर, 2021 को प्रस्तुत किया गया था और इसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सत्ताईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपनी की गई कार्रवाई टिप्पण 7 जुलाई, 2022 को प्रस्तुत किया था।

3. समिति ने 7 फरवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

.4 संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय- एक में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

5. समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो पर दिया गया है।

नई दिल्ली; **प्रतापराव जाधव,**

8 फरवरी, 2023 **सभापति,**

19 माघ,1944 (शक) **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी**

संबंधी स्थायी समिति।

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' विषय पर समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. **सत्ताइसवां प्रतिवेदन 01 दिसंबर**, 2021 **को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसमें 23 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थी। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त हो गए हैं और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है**:-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है: सिफारिश क्रम सं.-1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 और 22

कुल -13
अध्याय-दो

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती
सिफारिश क्रम सं.-23

कुल- 01
अध्याय-
तीन

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

सिफारिश क्रम सं.-3, 6, 7, 14, 20 और 21

कुल- 06
अध्याय-
चार

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

सिफारिश क्रम सं.-8, 13, और 16

कुल - 03
अध्याय-
पांच

3. **समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यंत महत्व दिया जाएगा। समिति आगे यह इच्छा व्यक्त करती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय- एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पण तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अंतिम की गई कार्रवाई उत्तर उन्हें शीघ्र प्रस्तुत किए जाए।**

4. **अब समिति अपनी कुछ सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा करेगी।**

<u>प्रिंट मीडिया</u>

<u>प्रिंट मीडिया में नैतिक मानकों का पालन करने के लिए मौजूदा संहिता/अधिनियम/तंत्र</u>

5. समिति ने **'**मीडिया कवरेज में नैतिक मानक**'** विषय संबंधी अपने **27**वें प्रतिवेदन में

निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं:

"समिति नोट करती है कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई), प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत एक सांविधिक, अर्ध-न्यायिक निकाय है जो कि प्रेस के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यह नैतिकता के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए क्रमशः प्रेस के विरुद्ध और उसकी शिकायतों पर निर्णय करता है। प्रिंट मीडिया के लिए नैतिक मानदंडों को संहिताबद्ध करने के लिए अपनाए गए मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि समाचार, विचार, टिप्पणियां और सूचना प्रेस द्वारा सार्वजनिक हित में सही, सटीक, निष्पक्ष और सभ्य तरीके से प्रसारित की जाए तथा समाज और संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर रिपोर्टिंग के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखा जाए। एक अन्य मानदंड है प्रायोजित समाचार की सामग्री पर ध्यान देना जोकि सामने आया है, और गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को नुकसान पहुंचा रहा है। अधिनियम की धारा 14, परिषद को, यदि उसे यह पता चलता है कि किसी समाचार-पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता नैतिकता या सार्वजनिक आचरण के मानकों को ठेस पहुंचाई है अथवा किसी संपादक या कार्यरत पत्रकार के विरुद्ध प्रोफेशनल दुराचरण की शिकायत प्राप्त हुई है, तो उस स्थिति में उसे समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी संपादक या संबंधित पत्रकार को चेतावनी देने, तलब करने या सेंसर करने अथवा संपादक या पत्रकार के आचरण को अनुचित करार देने का अधिकार प्रदान करती है। इसके अलावा, पीसीआई ने प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13(1) के तहत समाचार-पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों को प्रिंट मीडिया पत्रकारिता में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए और पत्रकारों को नैतिक सीमाओं के भीतर पेशे का कार्य करने के लिए पत्रकारिता आचरण के मानदंड तैयार किए हैं, जो सिद्धांतों और नैतिकता के साथ-साथ विशिष्ट मुद्दों पर विस्तृत दिशा-निर्देशों को कवर करते हैं एवं समय-समय पर इसके द्वारा प्रदान किए गए महत्वपूर्ण न्यायनिर्णयों के आधार पर नए मानदंडों को शामिल करते हुए परिषद द्वारा इसे लगातार अद्यतन किया जा रहा है।

तथापि, समिति यह जानकार अत्यधिक चिंतित है कि दोषी समाचार-पत्र पीसीआई द्वारा सेंसर किए जाने के बाद भी वही गलतियां दोहराते हैं जब तक कि भारत सरकार की नीति के अनुसार उस विशेष समाचार-पत्र को ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी)

द्वारा निश्चित समयावधि के लिए सरकारी विज्ञापनों को रोके जाने की कार्रवाई नहीं की जाती। यह नोट करना आश्चर्यजनक है कि बीओसी द्वारा ऐसे समाचार-पत्रों के खिलाफ निर्णय लेने में बहुत समय लगता है जो अंततः निर्णय के प्रभाव को कमजोर करता है। अनुमानतः पीसीआई यदि एक समाचार-पत्र को सेंसर करने का निर्णय आज लेता है, तो बीओसी को सरकारी विज्ञापन को रोकने का निर्णय लेने में लगभग एक साल लगता है। इसलिए प्रेस परिषद ने प्रस्ताव किया है कि भारत सरकार पीसीआई के निर्णयों पर कार्रवाई करने के लिए बीओसी के लिए एक निश्चित समयावधि निर्धारित करे और ऐसे दोषियों को सरकारी विज्ञापन देने से रोक दें ताकि दोषी समाचार-पत्रों पर पीसीआई के निर्णय को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। समिति का मानना है कि पीसीआई का प्रस्ताव सही है जिससे न केवल उन्हें भेजे गए मामलों पर बीओसी द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी बल्कि दोषी समाचार-पत्रों पर भी निवारक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, समिति सूचना और प्रसारण मंगलय से भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने और बढ़ावा देने के हित में पीसीआई द्वारा सेंसर किए गए मामलों पर कार्रवाई करने के लिए बीओसी के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित करने का आह्वान करती है।"

6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने की गई कार्रवाई के अपने उत्तर में निम्नवत बताया है:

"बीओसी वर्तमान प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति-2020, खंड 17 (vii) के प्रावधानों के अनुसार पीसीआई द्वारा सेंसर किए गए प्रकाशनों पर जुर्माना लगाता है, जिसका सार निम्नानुसार है:

"जुर्माना: यदि पीसीआई द्वारा किसी प्रकाशन को 'पत्रकारिता आचरण के मानदंडों' का उल्लंघन करने या किसी राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल होने के लिए पाया जाता है; बीओसी द्वारा ऐसे प्रकाशनों पर निम्नानुसार दंड लगाया जा सकता है:

क. पहले अपराध पर प्रकाशन के संस्करण के लिए चेतावनी या पंद्रह (15) दिनों का निलंबन।

ख. दूसरे अपराध पर प्रकाशन के उसी संस्करण के लिए दो (2) महीने का निलंबन ।

ग. तीसरे अपराध पर प्रकाशन के उसी संस्करण के लिए छह (6) महीने का निलंबन ।

पीसीआई द्वारा सेंसर किए गए समाचार पत्र/प्रकाशन, जो बीओसी के पैनल में हैं, को 2 महीने की अवधि के लिए बीओसी के पैनल से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि जो समाचार पत्र/प्रकाशन बीओसी के पैनल में नहीं हैं और जिन्हें पीसीआई द्वारा सेंसर किया गया है, उन्हें 2 महीने की समान अवधि के लिए पैनलबद्ध नहीं रखा जाएगा या फिर से पैनलबद्ध नहीं किया जाएगा। विगत 5 वर्षों के दौरान, पीसीआई ने 142 प्रकाशनों को सेंसर किया। इसमें से बीओसी ने पैनल में शामिल 112 प्रकाशनों को निलंबित कर दिया है। शेष 30 सेंसर किए गए प्रकाशन बीओसी पैनल पर नहीं थे। विवरण नीचे दिए गए हैं:

पीसीआई संदर्भ तिथि	बीओसी .द्वारा की गई कार्रवाई	प्रकाशनों की संख्या
21.07.2016	17.08.2016	5
06.04.2017	18.05.2017	1
09.06.2017 और 04.07.2017	17.07.2017	3
18.07.2017	13.09.2017	51
22.11.2019	10.07.2020	42
29-30.09.2020	20.10.2020	1
28.01.2021	12.02.2021	6
04-07.06.2021	28.06.2021	3
कुल		112

तदनुसार, बीओसी ने दिशा-निर्देशों/नीति प्रावधानों का पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से पीसीआई द्वारा सेंसर किए गए प्रकाशनों के खिलाफ कार्रवाई की है।"

7. **समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की थी कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा सेंसर किये जाने के बाद भी समाचार पत्रों ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन (बीओसी) द्वारा सरकारी विज्ञापनों को रोके जाने तक वही गलती दोहराई। इस संबंध में, समिति ने यह भी नोट किया था कि बीओसी द्वारा ऐसे समाचार पत्रों के खिलाफ निर्णय लेने में बहुत समय बर्बाद किया गया था, इतना कि पीसीआई के एक समाचार पत्र को सेंसर जाने के फैसले के बाद, बीओसी को सरकारी विज्ञापनों को रोकने का निर्णय लेने में लगभग एक साल लगा। पीसीआई के प्रस्ताव को योग्य पाते हुए समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सिफारिश की थी कि वह पीसीआई द्वारा सेंसर गए मामलों पर कार्रवाई करने के लिए बीओसी हेतु एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करे और ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाए। इसके प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने कहा है कि पीसीआई द्वारा सेंसर किये गए समाचार पत्र/प्रकाशन, जो बीओसी के पैनल में हैं, को बीओसी के पैनल से 2 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाता है और जो बीओसी के पैनल में नहीं हैं और पीसीआई द्वारा सेंसर किये गए हैं, उन्हें 2 महीने की समान अवधि के लिए सूचीबद्ध या फिर से सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। पीसीआई द्वारा द्वारा सेंसर किये गए मामलों पर कार्रवाई करने के लिए बीओसी के लिए समय सीमा तय करने पर मंत्रालय ने उत्तर में कुछ कुछ नहीं कहा । इसलिए, अपनी सिफारिश दोहराते समय समिति मंत्रालय से पीसीआई के निर्णयों पर कार्रवाई करने के लिए बीओसी हेतु निश्चित समय सीमा निर्धारित करने के लिए पीसीआई के प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई कि जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध**

करती है, खासकर जब पीसीआई ने स्वयं इसके लिए इच्छा व्यक्त की है। समिति का मानना है कि इस कदम से मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी और बार-बार गलती करने वाले समाचार पत्रों पर भी निवारक प्रभाव पड़ेगा। समिति मंत्रालय से सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई/पूर्ण उत्तर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की भी सिफारिश करती है।

(सिफारिश क्रम संख्या 6)

8. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं:

"समिति को सूचित किया गया है कि पीसीआई ने 29.05.2019 को आयोजित अपनी बैठक में इस सुझाव के साथ एक प्रस्ताव पारित किया था कि जब प्रिंट मीडिया में भारतीय प्रेस परिषद के रूप में सतर्क निकाय है, तो क्या संपूर्ण मीडिया अर्थात प्रिंट या अन्य रूप में समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं, ई-समाचार पत्र, समाचार पोर्टल, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा समाचार प्रसार के किसी अन्य समानांतर मंच की आवश्यकता है। पीसीआई ने सरकार को एक ही कानून बनाने के लिए सिफारिश की है ताकि उपरोक्त सभी मीडिया को प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की तर्ज पर शामिल किया जा सके। पीसीआई के अध्यक्ष ने कहा कि कुछ महीने पहले उन्हें प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार चैनलों के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं, लेकिन वह उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं थे।

समिति ने यह भी देखा कि पीसीआई, प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करने वाली सांविधिक संस्था शिकायतों का निराकरण कर सकती है और समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या संबंधित पत्रकार को चेतावनी देने, तलब करने या निंदा करने की शक्ति रखती है। तथापि, उसके पास अनुपालन लागू कराने की शक्ति नहीं है क्योंकि पीसीआई द्वारा जारी सलाह अदालत में लागू नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, समाचार प्रसारण को नियंत्रित करने वाले स्व-संगठित समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) को शास्ति लगाने की शक्ति है, लेकिन इसका क्षेत्राधिकार केवल उन संगठनों पर लागू है जो

समाचार प्रसारक संघों (एनबीए) के सदस्य हैं। इसलिए इसकी प्रभावकारिता इसके आदेशों के स्वैच्छिक अनुपालन तक ही सीमित है और इसी पर निर्भर करती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति का दृढ़ मत है कि सभी तरह की मीडिया को शामिल करने के लिए पीसीआई को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है, और इसलिए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय पीसीआई को एक व्यापक मीडिया परिषद स्थापित करने की संभावना का पता लगाए जिसमें न केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया जाए और जहां आवश्यक हो, उसे अपने आदेशों का प्रवर्तन करने के लिए सांविधिक शक्तियां प्रदान की जाए, ताकि इसे मीडिया परिदृश्य के समग्र दृष्टिकोण हेतु सक्षम बनाया जा सके तथा अनियमितताओं को रोकने, वाक् और पेशे की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, और उच्चतम नैतिक मानदंड और विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु उचित कदम उठाए जा सकें, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तथापि, इस संबंध में समिति इस बात की आवश्यकता महसूस करती है कि सर्वसम्मति बनाने के लिए इच्छुक समूहों/हितधारकों के मध्य व्यापक विचार-विमर्श के लिए भारत सरकार विशेषज्ञों वाला एक मीडिया आयोग बनाए। इस बीच, इस पर निर्णय लंबित होने तक समिति चाहती है कि मंत्रालय ई-समाचार पत्रों की निगरानी के लिए किसी नियामक ढांचे को व्यापक बनाने की संभावना तलाश करे।"

9. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई के उत्तर में निम्नवत बताया है:

"मंत्रालय को पहले भारतीय प्रेस परिषद से विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों को रखते हुए मीडिया परिषद के गठन के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

वर्तमान में, विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के लिए अलग-अलग नियामक तंत्र पहले से मौजूद हैं - प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद, टेलीविजन के लिए केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2000 के तहत (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 जैसा कि

प्रत्येक प्लेटफॉर्म अपने तरीके से अद्वितीय और विशिष्ट है, उन्हें एक नियामक ढांचे के तहत एकीकृत और विलय करना वांछनीय नहीं हो सकता है।"

10. **भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा जारी परामर्शों के प्रवर्तन और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) जैसे स्व-नियामक संगठनों के अधिकार क्षेत्र की अपने सदस्यों तक प्रयोज्यता के संबंध में सीमाओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने राय दी थी कि मंत्रालय को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को शामिल करते हुए एक मीडिया परिषद जो आवश्यकता पड़ने पर अपने आदेशों को लागू करने के लिए वैधानिक शक्तियों से सुसज्जित हो, की स्थापना करने की संभावना तलाशनी चाहिए। इसके लिए समिति ने आम सहमति बनाने के लिए इच्छुक समूहों/हितधारकों के बीच व्यापक परामर्श की आवश्यकता भी बताई थी। इसके उत्तर में मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्हें भी पीसीआई से विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों को शामिल करते हुए मीडिया परिषद के गठन के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस संबंध में, समिति मंत्रालय की इस दलील को भी स्वीकार करती है कि वर्तमान में विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के लिए अलग-अलग नियामक तंत्र मौजूद हैं और प्रत्येक मंच अपने तरीके से अद्वितीय और विशिष्ट है और इसलिए उन्हें एक नियामक ढांचे के तहत एकजुट करना और उनका विलय करना वांछनीय नहीं हो सकता है। तथापि, नई प्रौद्योगिकियों के उद्भव और समावेशन के कारण अंतर-क्षेत्रीय समन्वय की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए समिति प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल मीडिया के लिए पृथक स्कंधों और विनियामक तंत्र के साथ एकीकृत मीडिया आयोग/निकाय/परिषद बनाने की संभावनाओं की तलाश करने के लिए मंत्रालय को बार-बार कहना और सिफारिश करना चाहेगी ताकि मीडिया का समग्र दृष्टिकोण आ सके और अनैतिक मीडिया कवरेज के समान मामलों से निपटने में अंतर-मीडिया समानता सुनिश्चित**

की जा सके।

<u>प्रिंट मीडिया द्वारा नैतिक मानकों का अनुपालन नहीं करने के मामले</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 7)

11. समिति ने अपने **27**वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं:

"समिति नोट करती है कि प्रिंट मीडिया द्वारा नैतिक मानकों के उल्लंघन पर, प्रेस परिषद समाचार-पत्रों को निर्देश देती है कि वे शिकायतकर्ता के संस्करण को प्रकाशित करने के लिए शुद्धि-पत्र या शिकायतकर्ता के संस्करण को प्रकाशित करें प्रकाशित करें और निपटारे के लिए पक्षकारों को किसी समाधान पर पहुंचाने का प्रयास करें। पत्रकारिता आचरण के घोर उल्लंघन के मामलों में पत्रों को चेतावनी दी जाती है, फटकारा जाता है और निंदा की जाती है। इसके अलावा, जिन मामलों में समाचार-पत्रों को सेंसर किया जाता है, पीसीआई अपने स्तर पर ऐसे निर्णयों पर आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित सरकार को अग्रेषित करता है तथापि, समिति यह देखकर निराश है कि पीसीआई के निर्णय जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास भेजे गए थे, उन पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं है। विगत 5 वर्षों के दौरान, पीसीआई ने "पत्रकारिता के मानकों" का उल्लंघन करने के लिए 142 समाचार-पत्रों को सेंसर किया और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को न्यायनिर्णयन हेतु अग्रेषित किया। यह स्पष्ट रूप से पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के उल्लंघन के लिए समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों आदि को दंडित करने के लिए पीसीआई की शक्तियों की सीमा को इंगित करता है। समिति का सुविचारित मत है कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि उसके कुशल कार्यान्वयन के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद न हो। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार को व्यापक और ठोस उपाय करने चाहिए ताकि समाचार-पत्रों और अन्य प्रकाशनों में नैतिकता

के उल्लंघन के मामलों पर पीसीआई के निर्णयों को वास्तव में लागू किया जा सके अथवा तार्किक अंत तक पहुंचाया जा सके और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को पीसीआई द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराना अनिवार्य होना चाहिए।"

12. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"बीओसी के पैनल में शामिल समाचार पत्रों के संबंध में, बीओसी द्वारा उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। उन समाचार पत्रों के मामले में जो लोक संपर्क संचार ब्यूरो (बीओसी), नई दिल्ली के पैनल में या उसके साथ पंजीकृत नहीं हैं, भारतीय प्रेस परिषद के निर्णय आदेश संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को इसके सूचना और जनसंपर्क विभाग और उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित/अग्रेषित किए जाते हैं।"

13. **यह पता चलने पर कि पीसीआई के पास संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित उनके निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना नहीं है, समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार को व्यापक और व्यावहारिक उपाय करने चाहिए ताकि समाचार पत्रों और अन्य प्रकाशनों में नैतिकता के उल्लंघन के मामलों पर पीसीआई के निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके और उनके तार्किक अंत तक ले जाया जा सके। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए की गई कार्रवाई के बारे में पीसीआई को सूचित करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि बीओसी के पैनल में शामिल समाचार पत्रों के संबंध में बीओसी द्वारा समुचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है और बीओसी के साथ अपंजीकृत समाचार पत्रों के मामले में पीसीआई के न्यायनिर्णयन आदेशों को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को उसके सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और**

क्षेत्राधिकार जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से समुचित कार्रवाई करने के लिए सूचित/अग्रेषित किया जाता है। समिति ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी ओर से की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना प्राप्त करने के संबंध में मंत्रालय का उत्तर में कुछ न कहने के तरीके को अस्वीकार कर दिया है। इसलिए समिति इच्छा व्यक्त कराती है कि उसे इस सम्बन्ध में कि गयी करवाई से अवगत कराया जाय और बताया जाय कि राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और उनके द्वारा कि गई कार्रवाई का क्या प्रभाव पड़ा है । समिति बार-बार कहे जाने के आधार पर मंत्रालय से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई पूरी कार्रवाई/उत्तर प्रदान करना सुनिश्चित करे।

<u>प्रसारण उद्योग द्वारा टीवी चैनलों में स्व-विनियमन</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 14)

14. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं:

"समिति नोट करती है कि निजी टीवी समाचार और गैर-समाचार चैनल स्व-विनियमन की प्रणाली द्वारा शासित होते हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), जो समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनलों की प्रतिनिधि संस्था है, ने ऐसी ही एक प्रणाली विकसित की है। एनबीए ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) की स्थापना की है, जिसे प्रसारक को चेतावनी देने, भर्त्सना करने, निंदा करने, अस्वीकृति व्यक्त करने और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने और/या संहिता के उल्लंघन के लिए ऐसे प्रसारक के लाइसेंस को निलंबित/निरस्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को सिफारिश करने का अधिकार है। इसके अलावा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ), गैर-समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनलों का एक प्रतिनिधि निकाय है जिसने शिकायतों की जांच और समाधान के लिए प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी) की स्थापना की है। कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के मामले में बीसीसीसी संबंधित चैनल

को ऐसी सामग्री को संशोधित करने या वापस लेने का निर्देश देती है और उल्लंघनों की प्रकृति के आधार पर अधिकतम 30 लाख रुपये तक का वित्तीय जुर्माना भी लगा सकती है। हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन नाम के एक नए स्वतः विनियामक एसोसिएशन की शुरुआत की गई है। इसी तरह एडवर्टाइजिंग स्टैंडड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) एक अन्य स्वतः विनियामक स्वैच्छिक संगठन है, जिसने विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों पर विचार करने के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) का गठन किया है।

जैसा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, सभी 926 निजी सेटेलाइट टीवी चैनल एनबीए और आईबीएफ के सदस्य नहीं हैं और इसलिए उन चैनलों के विरुद्ध शिकायत उचित कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेज दी जाती हैं। समिति ने यह भी नोट किया कि पिछले 5 वर्षों अर्थात, 2015 से 2019 के दौरान, यद्यपि कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के लिए 141 मामलों में कार्रवाई की गई, उनमें से 119 मामले ऐसे चैनलों से संबंधित थे जी आईबीएफ और एनबीए के सदस्य नहीं थे।

उपरोक्त के आलोक में समिति यह नोट कर संतोष व्यक्त करती है कि स्व-विनियामक निकाय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल 141 में से एनबीए और आईबीएफ सदस्यों के केवल 22 मामलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिससे यह पता चलता है कि गैर सदस्यों के संबंध में अनुपालन दर संतोषजनक नहीं है। इसलिए समिति का सुविचारित मत है कि मंत्रालय को प्रसारण उद्योग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करना चाहिए और यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को स्व-विनियमन की प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए इस मामले की जांच करे तथा स्व-विनियमन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए। इस प्रकार मंत्रालय अपनी कुछ जिम्मेदारियों से भी छुटकारा पा सकता है, जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार से निपटने के लिए अतिरिक्त सहायता की भी आवश्यकता होती है।"

15. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

"17.06.2021 को अधिसूचित केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तीन स्तरीय शिकायत निवारण ढांचे का प्रावधान हैं:

(i) स्तर I - प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन;

(ii) स्तर II - प्रसारकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-विनियमन; तथा

(iii) स्तर III - केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र।

स्तर-II में प्रसारकों के स्व-विनियमन निकाय द्वारा स्व-विनियमन का प्रावधान है जिसमें प्रत्येक स्व-विनियमन निकाय का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानवाधिकार या ऐसे अन्य संगत क्षेत्रों से एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, और इसमें अधिकतम अन्य सदस्य होंगे, जो मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानवाधिकार और ऐसे अन्य संगत क्षेत्रों से स्वतंत्र विशेषज्ञ होंगे।

स्व-विनियमन निकाय स्वयं को केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत करेगा। यह निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्: -

i) प्रसारक द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुरूप चलने तथा इनका अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने संबंधी देखरेख करेगा ;

ii) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रसारक का मार्गदर्शन करेगा;

iii) उन शिकायतों का निपटारा करेगा जिन्हें प्रसारक द्वारा पंद्रह दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर निपटाया नहीं गया है;

iv) शिकायतकर्ता द्वारा प्रसारक के निर्णय के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई करेगा;

v) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-नियम (5) में यथा निर्दिष्ट सहित किसी प्रसारक को ऐसे मार्गदर्शन या परामर्श जारी करेगा।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 18 के तहत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित निकायों को स्तर-II स्व-नियामक निकायों के रूप में पंजीकृत किया गया है:

(क) ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल (बीसीसीसी) जिसमें 309 टीवी चैनल इसके सदस्य होंगे।

(ख) न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन - प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी" (एनबीएफ-पीएनबीएसए) जिसमें 41 टीवी चैनल इसके सदस्य होंगे।

16. **समिति ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में नोट किया था कि स्व-नियामक निकायों के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन यथोचित रूप से ठीक था, लेकिन गैर-सदस्यों द्वारा यह संतोषजनक नहीं था। इसके अलावा, यह नोट करते हुए कि 926 निजी चैनलों में से 309 चैनल बीसीसीसी के सदस्य हैं, 41 एनबीएफ के और 576 टीवी चैनल किसी भी स्व-विनियमन निकाय के सदस्य नहीं हैं, समिति ने मंत्रालय से सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को स्व-विनियमन के तंत्र के अधीन लाने के लिए पहल करने की सिफारिश की थी। समिति ने नोट किया कि मंत्रालय ने 'केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021' के तहत तीन स्तरीय शिकायत निवारण संरचना का विवरण प्रदान किया है, जिसे 17.06.2021 को अधिसूचित किया गया था। यह नोट करते हुए कि 576 टीवी चैनल किसी स्व-विनियमन निकाय के सदस्य नहीं हैं, समिति महसूस करती है कि यदि स्व-विनियमन के तंत्र को प्रभावी ढंग से काम करना है तो स्तर-I पर प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन के अलावा, सभी चैनलों के लिए संबंधित स्व-विनियमन निकाय का सदस्य होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्तर-I पर स्व-विनियमन का अनुपालन करने में ब्रॉडकास्टर की विफलता के मामले में, स्तर-II पर स्व-विनियमन निकायों द्वारा प्रभावी स्व-विनियमन होगा। इस प्रकार, समिति मंत्रालय को स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनल किसी न किसी स्व-नियामक**

निकाय का हिस्सा हों। समिति को इस दिशा में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

<u>फेक न्यूज़</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 20)

17. समिति ने अपने **27**वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं:

"फेक न्यूज की अफवाह फ़ैलाने वाले व्यक्ति से निपटने और उसे दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 जैसे कानून पहले से ही विद्यमान है। इसके अलावा, तथ्य जांच इकाई (एफसीयू) की स्थापना दिसंबर, 2019 में पीआईबी में की गई है और ऐसे एफसीयू पीआईबी के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी स्थापित किए गए हैं। इस प्रकोष्ठ को स्व-प्रेरणा से या इसके विभिन्न इनपुट तरीकों व्हाट्सएप हॉटलाइन नम्बर, ट्विटर और पीआईबी की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में गलत जानकारी से निपटने का कार्य दिया गया है।यह तंत्र सूचना के सत्यापन के लिए मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसी विभिन्न फीडर इकाइयों पर निर्भर करता है और मंत्रालयों में पीआईबी अधिकारियों के माध्यम से उनसे जुड़ा हुआ है। समिति इस बात से चिंतित है कि गलत/फेक न्यूज की समस्या भारत में एक चिंतित करने वाली प्रवृत्ति बन गयी है जहां इस सामग्री में योगदान करने वाले न केवल वेबसाइटों के स्वामी हैं बल्कि वैयक्तिक अंशदाता भी हैं जिन पर नियंत्रण रखना एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, केंद्र सरकार ने अपने 9 नवंबर 2020 की अधिसूचना द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित कार्य आवंटन नियम, 1961 में संशोधन कर दिया है और इसमें ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध किए गए डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया, फिल्म और दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर समाचार और समसामयिक जानकारी से संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की है।

इस संबंध में पीआईबी के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में तथ्य जांच इकाई की स्थापना की सराहना करते हुए समिति चाहती है कि मंत्रालय वायरल वीडियो/समाचार, जो सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करते हैं, के प्रति सतर्क रहने के साथ-साथ और अधिक एफसीयू खोले

जाएं, समिति यह भी सिफारिश करती है कि "फेक न्यूज" शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाए।"

18. समिति की उपर्युक्त सिफारिश पर मंत्रालय का की गई कार्रवाई उत्तर निम्नवत है:

"नवंबर, 2019 में पत्र सूचना कार्यालय के तहत एक फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना की गई है। यह यूनिट स्वतः संज्ञान और नागरिकों द्वारा अपने पोर्टल पर या ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए प्रश्नों के माध्यम से फर्जी खबरों का संज्ञान लेती है। केंद्र सरकार से संबंधित मामलों में यह यूनिट प्रासंगिक प्रश्नों का उचित जानकारी के साथ उत्तर देती है या अन्य मामलों में उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित करती है। इस यूनिट का ट्विटर अकाउंट @PIBFactcheck भी है और यह नियमित आधार पर फर्जी खबरों के मामलों का भंडाफोड़ करता है। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचारों को कवर करती है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने लगभग 30,000 कार्रवाई योग्य प्रश्नों का उत्तर दिया है। वास्तव में दिल्ली में पीआईबी मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित फैक्ट चेक यूनिट देश भर में गलत सूचना/फर्जी खबर की घटनाओं को देखते हैं ।"

19. **समिति ने अपनी मूल रिपोर्ट में पाया कि दिसंबर**, 2019 **में स्वयं या विभिन्न इनपुट तरीकों यथा व्हाट्सएप हॉटलाइन नंबर**, **ई-मेल**, **ट्विटर और पीआईबी की वेबसाइट के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं पर गलत सूचना का विरोध करने के लिए** 17 **क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई थी। समिति ने फैक्ट चेक यूनिटों की स्थापना की सराहना की थी और ऐसे और एफसीयू खोलने की इच्छा व्यक्त की थी। समिति ने मंत्रालय से 'फेक न्यूज' शब्द को व्यापक तौर पर परिभाषित करने की भी सिफारिश की थी। समिति इस पर मंत्रालय की चुप्पी को अस्वीकार करते हुए उससे देश में फैक्ट चेक यूनिटों की आवश्यकता/पर्याप्तता पर अपनी प्रतिक्रिया देने की सिफारिश करती है। भारत में झूठी/फर्जी खबरों से परेशान करने की प्रवृत्ति होने के आलोक में समिति यह भी जानना चाहेगी कि क्या सामान्यत: गलत**

सूचनाओं का विरोध करने के लिए ऐसे एफसीयू बनाने की कोई योजना है।

(सिफारिश क्रम संख्या 21)

20. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं :

"समिति सीईओ, प्रसार भारती के इस मत का समर्थन करती है कि नियामक तंत्र में फेक न्यूज की जांच और वास्तविक समय पर हस्तक्षेप करने में सक्षम होने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाए, तदनुसार, उपयुक्त कदम उठाए जाने के साथ-साथ 'ऑल्टन्यूज', 'चेक फॉर स्पैन', 'एसएमहॉक्सलेयर' आदि जैसी गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से झूठी खबरों की जांच के क्षेत्र में मौजूदा विशेषज्ञता का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह ध्यान में रखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आदि जैसे देशों में फेक न्यूज़ विरोधी कानून है, समिति चाहती है कि मंत्रालय उनके कानूनों का अध्ययन करे और फेक न्यूज जैसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान बनाए।"

21. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

"फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के पास सांविधिक और संस्थागत तंत्र हैं। प्रिंट मीडिया के लिए, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद ने 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड' तैयार किए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ सटीकता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर जोर देते हैं।
टेलीविजन के लिए, सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें यह भी शामिल है कि कार्यक्रमों में कुछ भी अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, झूठा और विचारोत्तेजक अप्रत्यक्ष और अर्धसत्य नहीं होना चाहिए।

डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए, सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को आईटी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल समाचार प्रकाशकों द्वारा पालन के लिए आचार संहिता प्रदान करता है।
आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर सरकार उचित मामलों में कार्रवाई करती है। यह समय-समय पर मीडिया को निर्धारित संहिताओं का पालन करने के लिए एडवाईजरी भी जारी करता है।"

22. **फर्जी समाचारों पर अंकुश लगाने के लिए समिति ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में मंत्रालय को i आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना, (ii) विशेषज्ञता वाली गैर-सरकारी एजेंसियों पर विचार करने और (iii) कानूनी प्रावधानों को विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और अन्य लोकतांत्रिक देशों के एंटी-फेक न्यूज कानूनों का अध्ययन करने की सिफारिश की थी। समिति ने नोट किया कि मंत्रालय ने इन सभी पहलुओं पर अपने उत्तर में कुछ नहीं कहा है और उन्होंने प्रिंट मीडिया, टीवी चैनलों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए फर्जी समाचारों के प्रसार को रोकने के लिए मौजूद वैधानिक और संस्थागत तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान की है। नवीनतम प्रौद्योगिकियों और नागरिकों पर इसके प्रभाव के कारण फर्जी समाचारों के तेजी से प्रसार के मद्देनजर, समिति महसूस करती है कि इस क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की विशेषज्ञता से सीखने और अन्य देशों के एंटी-फेक न्यूज कानूनों का अध्ययन करने की हमेशा गुंजाइश होती है ताकि देश में नकली समाचारों पर अंकुश लगाने के लिए कतिपय कानूनी प्रावधान हो सकें। इसलिए समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह इस दिशा में की गई कार्रवाई के साथ-साथ नीयर रीयल टाइम में हस्तक्षेप करने और फर्जी समाचारों की जाँच करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए की गई पहलों की जानकारी प्रदान करे।**

******

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

(सिफारिश क्रम संख्या 1)

<u>प्राक्कथन</u>

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत वाक् स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न घोषणाओं के माध्यम से उदारतापूर्वक लागू किया गया है, जिसमें न केवल प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है, बल्कि यह अधिकार भी शामिल है कि सार्वजनिक महत्व और सरोकारों के मामलों पर नागरिकों को सूचित किया जाना चाहिए। मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, अपने नागरिकों को शासन की स्थिति के बारे में सूचित करके जनता के विचारों को जानने और लोकतंत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, मीडिया लोकतंत्र में मील का एक पत्थर है। मीडिया की स्वतंत्रता हमेशा से सभी लोकतंत्रों में एक पोषित अधिकार रहा है। तथापि, इतना सशक्त होने के साथ, मीडिया से आशा की जाती है कि वे ईमानदारी और पत्रकारिता में नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुरूप आचरण करें।

तथापि, यह गंभीर चिंता का विषय है कि मीडिया जो कभी लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे भरोसेमंद हथियार था और जनता के न्यासी के रूप में कार्य कर रहा है, वह धीरे-धीरे अपनी विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा खो रहा है, जहां मूल्यों और नैतिकता को अपने अनुकूल बनाया जा रहा है। मीडिया द्वारा पेड न्यूज, फर्जी खबर, टीआरपी में हेरफेर, मीडिया परीक्षण, सनसनी फैलाने, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग आदि के रूप में परिलक्षित आचार संहिता के उल्लंघन के बड़े पैमाने पर उदाहरणों ने लोगों के मन में इसकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। एक अच्छा लोकतंत्र जनता की भागीदारी पर फलता-फूलता है जो जिम्मेदार मीडिया द्वारा सही सूचना के प्रसार के माध्यम से संभव है।

समिति इस बात को ध्यान में रखते हुए, यहां प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष, जस्टिस जी. एन. रे के प्रसिद्ध भाषण को याद करना चाहेगी जिसमें कहा गया है कि संसदीय लोकतंत्र केवल मीडिया की चौकस नजरों के तहत ही फल-फूल सकता है। मीडिया का इतना प्रभाव है कि वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी विचार को बना या बिगाड़ सकता है। इसलिए समाज पर आज इसका व्यापक और सर्वशक्तिशाली प्रभाव है। इतनी शक्ति और क्षमता के साथ, मीडिया अपने विशेषाधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों की दृष्टि से नजर नहीं फेर सकता। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है, जो सेवा करता है। इस कारण दूसरों से 'प्रश्न' करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है। तथापि, इन विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए, मीडिया को सूचना एकत्र करने और प्रसारित करने में कुछ नैतिक मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है।

श्री रे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करते हुए, समिति को विश्वास है कि मीडिया चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो या सोशल हो, वे या तो नियामक ढांचे अथवा स्व-नियामक तंत्र द्वारा स्थापित नैतिक मानकों का पालन करेगा। समिति को यह भी विश्वास है कि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता और स्वावलंबिता को अत्यंत महत्व देगी ताकि वे बिना किसी भय और पक्षपात के यथासंभव समाचारों को निष्पक्ष रूप से कवर करें। सरकार के लिए यह भी जरूरी है कि वह इसके लिए अनिवार्य कानूनी और सामाजिक ढांचा सुनिश्चित करें जो मीडिया को उनके पेशे के स्थापित मूल्यों का सम्मान करने और उनका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अनुवर्ती पैराओं में, समिति ने मौजूदा नियमों की प्रभावकारिता, मीडिया कवरेज हेतु नैतिक मानदंडों को देखने के लिए नियामक ढांचे, नियामक निकायों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न बाधाओं आदि पर अपनी टिप्पणियां दी हैं और आशा करती है कि इन सिफारिशों से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की विश्वसनीयता बहाल करने और मीडिया कवरेज में नैतिक मानदंडों को सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी।

<u>सरकार का उत्तर</u>

इस पैरा में की गई समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/6/2021-बीसी-II दिनांक 7 जुलाई, 2022]

(सिफारिश क्रम संख्या **2)**

समिति नोट करती है कि भारत में कुल 1,44,893 समाचार-पत्र/पत्रिकाएं हैं जो भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) के पास पंजीकृत हैं, 926 अनुमति प्राप्त उपग्रह टेलीविजन चैनल हैं जिनमें 387 चैनल समाचार और करेंट अफेयर्स श्रेणी और 539 गैर-समाचार और करेंट अफेयर्स श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 36 दूरदर्शन चैनल हैं जिनमें 2 समाचार 34 गैर-समाचार चैनल हैं, 495 आकाशवाणी एफएम रेडियो स्टेशन और 384 निजी एफएम रेडियो स्टेशन हैं। समिति ने पाया कि उपरोक्त के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि ने पत्रकारिता में नागरिकों तक आसान पहुंच बनाई है। नागरिक घटनाओं को कैप्चर करने और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट करने के लिए अपने व्यक्तिगत रिकार्डिंग उपकरणों और सेल फोन का उपयोग करते हैं। तथापि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के पास भारत में इंटरनेट वेबसाइटों की संख्या के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक लोकप्रिय वेबसाइट "Internetlivestats.com" के अनुसार, वर्तमान में दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक वेबसाइटें हैं और आशा की जाती है कि इनमें से लगभग 20 करोड़ वेबसाइटें दुनिया भर में सक्रिय हैं।

उपरोक्त स्थिति में, समिति प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में नैतिक मानदंडों के पालन के लिए मौजूदा अधिनियमों तथा उपबंधों तथा हाल ही में अधिसूचित 'सूचना प्रौद्योगिकी ('मध्यवर्तियों' के लिए दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021', जिसका भाग दो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित 'मध्यवर्तियों से संबंधित है तथा भाग तीन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित डिजिटल मीडिया नैतिक संहिता से संबंधित है, से अवगत है। समिति आशा करती है कि यह दिशानिर्देश डिजिटल मीडिया में सामग्री को विनियमित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे तथा दोनों मंत्रालय साथ मिलकर सामंजस्यपूर्वक यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि नैतिकता संबंधी संहिता का डिजिटल मीडिया में भी पालन हो। समिति मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि वह सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त रूप से परामर्श लेना सुनिश्चित करे तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को पूरी तरह से संरक्षित रखते हुए डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए सशक्त प्रणाली का प्रयोग करे।

सरकार का उत्तर

हितधारकों के साथ सीधे जुड़े रहने के हित में, मंत्रालय ने जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर 11 वेबिनार आयोजित किए हैं। वेबिनार में 2,400 से अधिक हितधारकों की कुल भागीदारी शामिल थी, जिनमें शामिल हैं :

- स्टैंडअलोन डिजिटल समाचार प्रकाशकों के प्रतिनिधि
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया के संपादक और प्रबंधन प्रतिनिधि
- ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि, सामग्री प्रबंधक
- पत्रकारिता संकाय और छात्र
- डिजिटल मीडिया प्रकाशक संघों के प्रतिनिधि

वेबिनार का विवरण	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
गुजरात क्षेत्र के लिए वेबिनार	8 अप्रैल, 2021	75
फिक्की के सहयोग से वेबिनार	7 जून, 2021	175
सीआईआई के सहयोग से वेबिनार	15 जून, 2021	100
दक्षिणी क्षेत्र के लिए वेबिनार (5 राज्य)	26 जून, 2021	240
एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए वेबिनार	30 जून, 2021	260
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मीडिया से बातचीत	2 जुलाई, 2021	50
यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड के लिए वेबिनार	7 जुलाई, 2021	448
महाराष्ट्र, गोवा के लिए वेबिनार	12 जुलाई, 2021	320
पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और	14 जुलाई,	278

ओडिशा के लिए वेबिनार	2021	
हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए वेबिनार	20 जुलाई, 2021	341
भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के सहयोग से वेबिनार	20 अगस्त, 2021	160
कुल		2,447

वेबिनार में दो चरणों का प्रारूप था- 30 मिनट के लिए डिजिटल मीडिया आचार संहिता पर एक प्रस्तुति, इसके बाद 2 घंटे 30 मिनट के लिए एक मुक्त प्रवाह प्रश्नोत्तर सत्र था। प्रत्येक वेबिनार में लगभग 50-60 प्रश्न पूछे जाने के साथ, वेबिनार ने संदेह और आशंकाओं के स्पष्टीकरण के साथ-साथ सुझाव प्राप्त करने का एक तरीका भी बताया। स्वतंत्र भाषण, पत्रकारिता की स्वतंत्रता और कलात्मक रचनात्मकता के संबंध में हितधारकों की चिंताओं को भी वेबिनार के माध्यम से हल किया गया। हितधारकों को यह सूचित किया गया कि डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए आचार संहिता, भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंड और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता के अनुपालन हेतु प्रावधान करती है। ये हैं - पारंपरिक समाचार मीडिया के लिए समय-परीक्षित मानदंड/संहिता जिन्होंने पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा की है। इसी तरह, ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए आचार संहिता सामग्री के स्व-वर्गीकरण के लिए प्रावधान करती है, और इसलिए सरकार द्वारा पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। वेबिनार को प्रिंट और डिजिटल मीडिया में भी रिपोर्ट किया गया था । वेबिनार से सीखने, प्रस्तुतिकरण और आमतौर पर पूछे जाने वाले आशंकाओं पर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है और इसे एमआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंड II) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

(सिफारिश क्रम संख्या 5)

समिति आगे नोट करती है कि पीसीआई का मुखिया एक अध्यक्ष होता है, और इसमें 28 अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें अखिल भारतीय श्रेणियों के रूप में परिषद द्वारा पंजीकृत और अधिसूचित प्रेस संगठनों/समाचार एजेंसियों के संपादकों, श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार-पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मालिकों और प्रबंधकों को नामित किया जाता है, इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों से 5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और 3 सदस्य साहित्य अकादमी, यूजीसी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नामिति के रूप में सांस्कृतिक, साहित्यिक और कानून के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तदनुसार, परिषद को इससे जुड़े संपादकों और श्रमजीवी पत्रकारों को अधिसूचित करना होता है। पीसीआई के अध्यक्ष ने बताया कि वे सभी संघ, जिनकी उपस्थिति कम से कम 12 से 15 राज्यों में है, को पहले मान्यता दी जाए, 12 से 15 राज्यों में मान्यता रखने वाला एक संघ होना बहुत कठिन था। अब, विभिन्न राज्यों में बहुत से समाचार-पत्र बेचे और पढ़े जाते हैं, अत: परिषद में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मामले पर गौर किए जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि पीसीआई की सदस्यता बढ़ाने के मामले की तत्काल जांच करने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि उसके पास देश के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यापक आधार वाली सदस्य संख्या हो सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत पीसीआई के 28 सदस्यों में से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रेस परिषद द्वारा अधिसूचित प्रेस संगठनों/समाचार एजेंसियों द्वारा निर्धारित श्रेणियों जैसे संपादकों, कामकाजी पत्रकारों, समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मालिकों और प्रबंधकों द्वारा नामित किए जाते हैं। व्यक्तियों के संघों की पात्रता के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया या मानदंड नहीं था जिससे दावों को आमंत्रित किया जाना है और जिस तरीके से सदस्यों के नामांकन के उद्देश्य के लिए परिषद द्वारा व्यक्तियों के संघों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

संघ/निकायों के पात्रता मानदंड को परिभाषित करने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई जिसके कारण प्रेस परिषद (व्यक्तियों के संघ की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया) नियम, 2021 को अधिसूचित करते हुए दिनांक 05.02.2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई। इन नियमों ने दावों के दायरे का विस्तार किया है और उन सभी संघों

को स्पष्ट अवसर प्रदान किया है जिन्होंने लगातार छह वर्षों तक कारोबार किया है और कुछ पात्रता शर्तों के अध्यधीन व्यापक भागीदारी को समर्थ किया है।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंड II) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

<u>टीवी चैनलों द्वारा नैतिक मानकों का अनुपालन नहीं करने के मामले</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 9**)**

समिति नोट करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए उपभोक्ता मामले, गृह, विधि और न्याय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विदेश, रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) के एक सदस्य के साथ अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में एक अंतर मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) का गठन किया था। ईएमएमसी या आम जनता द्वारा यथासूचित, किसी टीवी चैनल के खिलाफ शिकायत मिलने, अथवा मंत्रालय द्वारा शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। सामान्यतः ऐसे मामलों को टीवी चैनल से मिली प्रतिक्रिया के साथ आईएमसी के सामने रखा जाता है। टीवी चैनल को आईएमसी के समक्ष भी व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति भी दी जाती है। आईएमसी का कार्यक्षेत्र सिफारिशी प्रकृति का होता है। आईएमसी की सिफारिशों में चेतावनी और सलाह जारी करना, चैनलों से अपने चैनलों पर माफी सूचक स्क्रॉल चलाने के लिए और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर चैनलों को अस्थायी रूप से अलग-अलग अवधि के लिए 'ऑफ एयर' होने के लिए निर्देश देना शामिल है। टीवी चैनल के संबंध में दंड और उसकी मात्रा के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रालय लेता है।

समिति आगे नोट करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2017-18 में 3 टीवी चैनलों -2018-19 में 1 चैनल और 2019-20 में 101 चैनलों के मामले में कार्रवाई की थी।

2019-20 में जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी उन मामलों में अत्यधिक वृद्धि के लिए मंत्रालय द्वारा बताए गए कारणों से समिति आश्वस्त नहीं है, मंत्रालय ने इस संबंध में औचित्य बताते हुए कहा कि वर्ष 2017 और 2018 के दौरान आईएमसी की चार बैठकें हुई जिनमें 35 मामलों पर विचार किया गया और 2019 के दौरान आईएमसी की 5 बैठकें हुई जिनमें 122 मांगों पर विचार किया गया, जिनमें पहले के वर्षों के मामले भी शामिल थे, समिति लंबित मामलों पर निर्णय के लिए समय पर बैठकें आयोजित करने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अपनाए गए इस स्पष्ट रूप से दिखने वाले ढीले रवैये को गंभीरता से लेती है। इसलिए, समिति इस बात पर जोर देती है कि मंत्रालय कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के संदर्भ में उन्हें भेजे गए मामलों पर कार्रवाई करने के लिए नियमित अंतरात पर अपनी बैठक आयोजित करे और मामलों के बढ़ते जाने की प्रतीक्षा न करें क्योंकि ऐसा ढुलमुल रवैया न केवल की जाने वाली कार्रवाई के प्रभाव को कमजोर करता है बल्कि दोषी चैनलों को बार-बार उल्लंघन करने का अवसर भी देता है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जा रही हैं। 2020-21 के दौरान और अप्रैल, 2021 में आईएमसी की 5 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 56 मामलों/ टीवी चैनलों से संबंधित शिकायतों पर विचार किया गया।

समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान टीवी चैनलों के खिलाफ की गई कार्रवाई इस प्रकार है:-

वर्ष	उन चैनलों की संख्या जिनमें कार्रवाई की गई					
	एडवाइजरी	चेतावनी	क्षमा स्क्रॉल चलाने का आदेश	प्रसारण बंद करना	अनुमति रद्द	कुल
2020	1	4	-	-	-	5

2021	3	18	9	-	1	31

इसके बाद, केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के रूप में अधिसूचना संख्या जीएसआर 416 (ई) दिनांक 17.06.2021 के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन किया गया, जिससे टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों / परिवादों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र प्रदान किया गया। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी चैनल के कार्यक्रम की सामग्री यदि वह कार्यक्रम या विज्ञापन संहिता के अनुरूप नहीं है, से असंतुष्ट है, वह प्रसारणकर्ता को लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है: संशोधित नियमों में मंत्रालय के साथ स्व-नियामक निकायों का पंजीकरण इस प्रकार कार्यक्रम संहिता/विज्ञापन संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों को संबोधित करने के लिए इन निकायों की एक वैधानिक भूमिका के लिए भी प्रावधान किया गया है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 387 में "कॉमन कॉज बनाम संघ सरकार" और अन्य के मामले में अपने आदेश में शिकायत निवारण के मौजूदा तंत्र पर संतोष व्यक्त करते हुए शिकायत निवारण तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए उचित नियम बनाने की सलाह दी थी। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 की प्रति **अनुलग्नक-I पर संलग्न है**।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के अनुपालन में, दिनांक 14.07.2021 को एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया गया था और पूर्व की अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) को आईडीसी द्वारा हटा दिया गया है। इसके गठन के बाद से, अंतर-विभागीय समिति की तीन बैठकें 13.10.2021, 02.11.2021 और 14.02.2022 को आयोजित की जा चुकी हैं। इसकी पहली 02 बैठकों में, आईडीसी की सिफारिशों के आधार पर टीवी चैनलों के खिलाफ पैनल कार्रवाई निम्नानुसार की गई है:

उन चैनलों की संख्या जिनमें कार्रवाई की गई					
एडवाइजरी	चेतावनी	क्षमा स्क्रॉल चलाने का	अस्वीकरण चलाने का	प्रसारण बंद करना	कुल

		आदेश	आदेश		
2	7	2	1	1	13

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

(सिफारिश क्रम संख्या **10)**

समिति को बताया गया है कि आईएमसी, किसी विशेष चैनल द्वारा कार्यक्रम संहिता के कथित उल्लंघन के मामलों पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ, उस चैनल द्वारा कार्यक्रम संहिता के पिछले उल्लंघनों को ध्यान में रखती है और मंत्रालय से उपयुक्त सिफारिश करती है। निजी उपग्रह टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत श्रेणीकृत शास्तियों का प्रावधान मौजूद है। विनिर्दिष्ट दंड इस प्रकार हैः (i) प्रथम उल्लंघन की स्थिति में, कंपनी की अनुमति को निलंबित करना और 30 दिनों की अवधि तक प्रसारण पर रोक, (ii) दूसरे उल्लंघन की स्थिति में, कंपनी की अनुमति को निलंबित किया जाना और अनुमति प्राप्त होने की अवधि तक प्रसारण का निषेध, (iii) तीसरे उल्लंघन की स्थिति में, कंपनी की अनुमति को रद्द करना और अनुमति की शेष अवधि तक प्रसारण पर रोक लगाना और (iv) अनुमति धारक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लगाए गए दंड का अनुपालन करने में विफल होने की स्थिती में, अनुमति का रद्द होना और अनुमति की शेष अवधि के लिए प्रसारण निषेध तथा भविष्य में नये सिरे से अनुमति प्राप्त करने के लिए 05 वर्ष की अवधि तक अनर्हता। इस पृष्ठभूमि के आलोक में, समिति यह मत बना रही है कि मंत्रालय चैनलों के उल्लंघन/ बार-बार उल्लंघन के मामलों के रिकॉर्ड का निष्ठापूर्वक रख-रखाव कर रहा है तथापि समिति को इस बात में संदेह है कि मौजूदा श्रेणीकृत शास्ति प्रणाली वास्तव में सहिंताओं का उल्लंघन करने वालों के लिए निवारक के रूप में कार्य कर रही है। समिति चाहती है कि इस संबंध उसे अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

सैटेलाइट टीवी चैनलों के अपलिंकिंग के लिए नीति दिशानिर्देश 2011 के पैरा 8, और सैटेलाइट टीवी चैनलों के डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2011 के पैरा 6 में संदर्भित श्रेणीबद्ध पेनल्टी का प्रावधान इन दिशानिर्देशों के तहत एक टीवी चैनल की अनुमति देने के नियमों और शर्तों के संबंध में है । नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, इन प्रावधानों को श्रेणीबद्ध तरीके से जुर्माना लगाने के लिए लागू किया जाता है।

सीटीएन नियम, 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता/विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के संबंध में, मंत्रालय ने 2005 से दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की भूमिका का उपयोग किया है। समिति टीवी चैनल को उचित अवसर देने के बाद एडवाइजरी, चेतावनी, माफी स्क्रॉल, ऑफ-एयर ऑर्डर आदि की सिफारिश करती है। आईएमसी की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है और निर्णय लिए जाते हैं।

दिनांक 17.06.2021 की अधिसूचना द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन के बाद से, प्रसारकों द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के पालन के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक 3-स्तरीय तंत्र स्थापित किया गया है। यह तंत्र उनके द्वारा स्थापित स्व-नियामक निकायों को प्रसारकों को निम्नलिखित मार्गदर्शन/सलाह जारी करने का अधिकार देता है,

(i) एडवाइजरी, चेतावनी, निंदा, भर्त्सना या फटकार; या
(ii) प्रसारक द्वारा प्रसारण की जाने वाली माफी; या
(iii) एक चेतावनी कार्ड या एक अस्वीकरण शामिल करें; या
(iv) किसी भी सामग्री के मामले में जहां यह संतुष्टता है कि सामग्री को हटाने या संशोधित करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उचित कार्रवाई के लिए नियम 19 में संदर्भित निगरानी तंत्र के विचार के लिए इसे केंद्र सरकार को संदर्भित करें।

इसी प्रकार, शिकायत निवारण के लिये निगरानी तंत्र के अनुसार स्थापित अंतर विभागीय समिति (आईडीसी) शिकायत निवारण तंत्र के स्तर-I/II और मंत्रालय द्वारा इसे संदर्भित शिकायतों/परिवादों को सुन सकती है। आईडीसी कार्यक्रम संहिता/ विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें कर सकती है:

(i) ऐसे प्रसारक को सलाह देना, चेतावनी देना, निंदा करना, चेतावनी देना या फटकारना; या

(ii) ऐसे प्रसारक से माफ़ी अपेक्षित होगी; या

(iii) ऐसे प्रसारक से चेतावनी कार्ड या खंडन अपेक्षित होगा; या

(iv) ऐसे प्रसारक से सामग्री को हटाने या संशोधित करने या किसी चैनल या कार्यक्रम को निर्दिष्ट समय अवधि के लिए प्रसारण बंद करना अपेक्षित होगा, जहां समिति इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी कार्रवाई जरूरी है।

केंद्र सरकार, आईडीसी की सिफारिशों के आधार पर, प्रसारकों द्वारा अनुपालन के लिए उचित आदेश और निर्देश जारी कर सकती है।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

(सिफारिश क्रम संख्या **11)**

समिति पाती है कि 6 मार्च, 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में टीवी मलयालम के दो समाचार चैनलों, यथा 'एशियानेट न्यूज' और 'मीडिया वन' के विरूद्ध 48 घंटे तक की निषेधाज्ञा जारी की। तथापि, मंत्री द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी कर निषेधाज्ञा को 48 घंटे से पहले ही वापस ले लिया गया। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी) ने सूचित किया था कि इन दोनों चैनलों ने पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा की रिपोर्ट को इस तरीके से दर्शाया जो निर्धारित संहिता, यथा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों, 1994 के नियम 6(1)(ग) और 6(1)(ङ) का उल्लंघन था। ऑफ-एयर आदेश के बाद, एशियानेट न्यूज ने 06.03.2020 को बिना शर्त माफी मांगी और प्रसारण को पुनः आरंभ करने का अनुरोध किया। एशियानेट न्यूज द्वारा क्षमा मांगने को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने ऑफ-एयर शास्ति में कटौती की और चैनल को 07.03.2020 को 01:30 बजे से प्रसारण फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी। दोनों चैनलों द्वारा किए गए समान उल्लंघनों के लिए आनुपातिक दंड को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 07.03.2020 को सुबह 09:30 बजे से दूसरे चैनल (मीडिया वन) के लिए प्रसारण फिर से शुरू किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने समिति को अवगत कराया कि सूचना और प्रसारण सचिव के स्तर पर चेतावनी के सभी आदेश जारी किए गए थे और ऑफ-एयर आदेश माननीय मंत्री के अनुमोदन से जारी किए गए थे। मंत्रालय यह स्पष्ट नहीं कर सका कि उस मामले में उस आधार पर

अनुशासनात्मक कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से क्यों निरस्त करना पड़ा, जिसके बारे में मंत्री को कोई जानकारी नहीं थी।

इस मामले में समिति पाती है कि 28.2.2020 को दोनों चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, चैनलों ने 03.03.2020 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए थे। जैसा कि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय , द्वारा टेलीविजन नेटवर्क में बताया गया है, सामान्यतः सभी शिकायतो को एनबीएसए को भेज दिया जाता हैं। उनकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां मांगी जाती हैं और उसके आधार पर अंतर-मंत्रालयी समिति एक कार्यकारी आदेश द्वारा कार्रवाई करती है। समिति इस मामलें में यह नोट करते हुए खेद है कि इस विशेष मामले में, ऐसी शिकायतों से निपटने में उचित प्रक्रिया का सहारा लेने की बजाय, अनावश्यक जल्दबाजी में चैनलों के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की गई थी। समिति का सुविचारित मत है कि मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार संहिताओं का उल्लंघन किया जाना स्थापित होने से पहले सुने जाने का पर्याप्त अवसर दिये बिना, किसी भी चैनल के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करने का निर्णय बहुत कठोर कदम होगा। समिति को विश्वास है कि भविष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऐसे मामलों से निपटने दौरान पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कार्य करेगा, अन्यथा ऐसा न हो कि सरकार की ओर से इस तरह के निर्णय को प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के रूप में देखा जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

कार्यक्रम के प्रसारण के लिए एशियानेट न्यूज और मीडियावन नाम के दो चैनलों जो प्रथम दृष्टया कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करते थे, को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। चैनलों की प्रतिक्रिया की जांच करने पर, दोनों चैनल कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करते पाए गए और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी ने चैनलों को 06.03.2020 को शाम 7.30 बजे से शुरू 48 घंटे के लिए प्रसारण बंद करने का निर्देश दिया।

इसके बाद, किसी एक चैनल द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के आधार पर चैनल को बंद करने के आदेश की अवधि घटाकर 6 घंटे कर दी गई। अन्य चैनल का प्रसारण भी समान उल्लंघन के लिए आनुपातिक दंड को ध्यान में रखते हुए 14 घंटे के बाद फिर से शुरू किया गया।

टेलीविजन चैनलो द्वारा प्रसारित सामग्री जो पारदर्शी और नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली होगी, से संबंधित नागरिकों की शिकायतों/परिवादों के निवारण के लिए वैधानिक तंत्र प्रदान करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1994 में दिनांक 17.06.2021 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 416 (अ) के तहत संशोधन किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रसारकों और उनके स्व-विनियमन निकायों पर उत्तर देही और जिम्मेदारी रखते हुए शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत संस्थागत प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंड II) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

(सिफारिश क्रम संख्या **12)**

समिति नोट करती है कि केबल नेटवर्क नियम, 2014 के नियम 6(1)(ङ) में कहा गया है कि "केबल सेवा में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं लिया जाना चाहिए जिससे हिंसा को प्रोत्साहित करने या भड़काने की संभावना हो अथवा उसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ कुछ भी हो या जो 'राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण' को बढ़ावा देते हो। तथापि, सीटीएन नियम, 1994 में उल्लेख किये गये कार्यक्रम संहिता में 'राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण' शब्द को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। मंत्रालय ने यह औचित्य देते हुए कहा है कि 'राष्ट्र-विरोधी' को आमतौर पर राष्ट्रीय हितों या राष्ट्रवाद के विरूद्ध के रूप में समझा जाता है। तथापि, समिति का सुविचारित मत है कि केबल नेटवर्क नियम, 2014 के नियम 6(1)(ङ) में प्रयुक्त 'राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण' शब्द निजी चैनलों के अनावश्यक उत्पीड़न का कारण हो सकता है और इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विनिर्दिष्ट संहिता में इस शब्द की व्याख्या में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए 'राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण' शब्द को उचित ढंग से परिभाषित किया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

संविधान में 'राष्ट्र-विरोधी' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, गैरकानूनी और विनाशक कार्यकलापो जो देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं, से सख्ती से निपटने के लिए आपराधिक कानून और विभिन्न न्यायिक घोषणाएं हैं इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 को संविधान के अनुच्छेद 31घ (आपातकाल के दौरान) में शामिल किया गया था, जो "राष्ट्र-विरोधी कार्यकलाप" को परिभाषित करता था और इस अनुच्छेद 31घ संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 को बाद में हटा दिया गया था।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

(सिफारिश क्रम संख्या **15)**

समिति यह जानकर व्यथित है कि कुल 119 मामलों में से वर्ष 2019 में केवल: 87 मामलों में कारवाई की गई थी जो यह दर्शाता है कि मंत्रालय की तरफ से मामलों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है और इस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। समिति मंत्रालय के उस तरीके का अनुमोदन नहीं करती जिसमें मंत्रालय मीडिया कवरेज में संहिता के उल्लंघन के लिए लंबा समय लगाता रहा है और समिति चाहती है कि वांछित प्रभाव के लिए मंत्रालय के स्तर पर मामलों का समयबद्ध ढंग से निपटान किया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

अंतर-मंत्रालयी समिति/अंतर-विभागीय समिति की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जा रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान आईएमसी की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:

क्र. सं.	आईएमसी की आयोजित बैठक की तारीख	बैठक में विचार की गई मदों की संख्या
1	04.08.2020	13
2	01.10.2020	01
3	11.12.2020	18
4	04.03.2021	11
5	07.04.2021	01 (एक शिकायत जिसमें 13 चैनलों से संबंधित मामले शामिल हैं)
6	13.10.2021	06
7	02.11.2021	09
8	14.02.2022	05 (कार्यक्रम संहिता /विज्ञापन संहिता के उल्लघन से संबंधित 54 मामलें शामिल है)

समिति की सिफारिश के आधार पर, 2020-21 की अवधि के दौरान 36 चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

<u>डिजिटल मीडिया / सोशल मीडिया</u>

(सिफारिश क्रम संख्या **17)**

समिति नोट करती है कि साइबर सुरक्षा अथवा ऐसी ऑनलाइन सामग्री जिस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69क के तहत कार्रवाई की जानी हो, के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रयोज्य वैधानिक उपबंधों के अनुरूप समुचित अनुवर्ती कार्रवाई करता है। समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने 2017, 2018 और 2019 के दौरान क्रमशः 1385, 2799 और 3603 यूआरएल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। समिति ने यह भी नोट किया कि ई- समाचारपत्र सहित इंटरनेट पर सभी प्रकाशन पहले आईटी

अधिनियम, 2000 के तहत शासित होते थे। तथापि, हाल के घटनाक्रम को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 9 नवंबर 2020 के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्य आवंटन नियम, 1961 में संशोधन कर दिया है और अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय को डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया अर्थात ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए फ़िल्म और श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार और समसामयिक जानकारी संबंधी कार्य के लिए अधिदेशित किया गया है। यह आशा करते हुए कि नए नियम उत्तर देही को सशक्त करने वाले होंगे, समिति यह जानना चाहती है कि मंत्रालय ने जिन उद्देश्यों के लिए अधिसूचना जारी की थी, उन्हें किस सीमा तक प्राप्त किया गया है।

विषय की जांच करते हुए समिति ने ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई गई गैर-विनियमित सामग्री, जो अभी तक विनियमन के तंत्र से बच गई है, पर भी विचार किया। कोविड महामारी के दौरान सिनेमा हॉल बंद होने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन/ओटीटी प्लेटफार्मों की तरफ आए। समिति इस बात से अवगत है कि ऐसे प्लेटफार्म पर दी गई सूचना और दिखाई गई सामग्री का प्रभाव अल्प-वय बच्चों सहित दर्शकों पर पड़ सकता है। ठीक वहीं, समिति इस बात को भी मानती है कि ओटीटी प्लेटफार्म दर्शकों को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि वह अपने देखने के लिए किसी सामग्री का चुनाव करें तथा इस प्रकार की स्वतंत्रता को सरकार द्वारा छीना नहीं जाना चाहिए। समिति नोट करती है कि सामाजिक मीडिया प्लेटफार्म आईटी अधिनियम, 2000 में यथा परिभाषित मध्यवर्ती हैं तथा आवश्यक प्रक्रिया को अपनाने की स्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार की देयता से छूट प्राप्त है, जो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, 2011 में यथा अधिसूचित है। आईटी अधिनियम की धारा 79 "समुचित सरकार अथवा उसकी एजेंसी को इस हेतु शक्ति प्रदान करती है कि वह मध्यवर्ती को भारतीय संविधान की धारा 19(2) से संबंधित अवैधानिक सामग्री को हटाने के लिए अधिसूचित करे। तथापि, हाल ही में 25 फरवरी 2021 को सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्तियों के लिए दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया नैतिक संहिता) नियम, 2021' अधिसूचित किया जिसका भाग दो 'मध्यवर्तियों' से संबंधित है तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शासित है। नए आईटी नियम, 2021 में मध्यवर्तियों की दो नई श्रेणियों का विवरण है तथा महत्वपूर्ण सामाजिक माध्यम मध्यवर्तियों द्वारा अतिरिक्त आवश्यक सतर्कता का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। समिति को आशा है कि नए

नियम/दिशानिर्देश सरकार द्वारा सशक्त निगरानी प्रणाली के साथ सामाजिक माध्यम प्लेटफार्मों के लिए पारदर्शिता और उत्तर देही सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होंगे। हालांकि, इस बात पर विचार करते हुए कि यह नियम अपने लागू किए जाने के शुरुआती चरण में हैं, समिति यह सिफारिश करती है कि नियमों के प्रभावकारिता तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति पत्रकारीय स्वतंत्रता तथा कलाकारों की रचनात्मकता से जुड़े निहितार्थो के संबंध में सामान्य लोगों, हितधारकों तथा अन्य मीडिया एक्टिविस्ट्स से प्राप्त शिकायतों तथा अनेक समस्याओं के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सामंजस्य बिठाते हुए कार्य करे। समिति का मत है कि किसी भी विनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय हो कि न तो उसका दुरुपयोग हो न ही उससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 का उल्लंघन हो। अतएव समिति यह अपेक्षा करती है कि दोनों मंत्रालय इन नए नियम/दिशानिर्देशों आदि के संबंध में ऑनलाइन/ओटीटी प्लेटफार्मों की उत्तर देही सुनिश्चित करने लिए आपस में सामंजस्य को बढ़ावा देते प्रणालीगत जागरूकता का सृजन करें जिससे नियमों का प्रभावी रूप से अनुपालन हो सके।

समिति चाहती है कि मंत्रालय विशेष तौर पर जिला तथा राज्य स्तर पर कार्यकारी/प्रशासनिक अधिकारियों को नए नियमों तथा उनके संभावित दुरुपयोग एवं गलत व्याख्या के संबंध में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं सुनिश्चित करे। समिति चाहती है कि उसे इन नियमों के लागू किए जाने के साथ इस संबंध में मंत्रालय द्वारा महसूस की जा रही किसी अन्य समस्या/बाधा के विषय में जानकारी प्रदान की जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (जिन्हें इसमें आगे "आईटी नियम, 2021" कहा गया है) सरकार द्वारा 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किए गए थे। आईटी नियम, 2021 का भाग III डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों से संबंधित है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित है।

इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया प्रकाशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए निम्नलिखित तीन स्तरीय शिकायत-आधारित तंत्र का प्रावधान है:

i. स्तर I: प्रकाशक
ii. स्तर II: प्रकाशकों के स्व-नियामक निकाय
iii. स्तर III: केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र

इन नियमों में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्मों द्वारा सूचना प्रकटीकरण के लिए तंत्र का भी प्रावधान है। इन नियमों के तहत प्रावधानों के आधार पर, डिजिटल मीडिया प्रकाशकों को अपनी यूनिटों के बारे में विवरण मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा, और उनके द्वारा प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों पर एक मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।

मंत्रालय ने 26 मई, 2021 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से डिजिटल मीडिया प्रकाशकों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप जारी किए। सार्वजनिक सूचना में स्टैंडअलोन डिजिटल समाचार प्रकाशकों, पारंपरिक (टीवी/प्रिंट) समाचार प्रकाशकों की डिजिटल शाखाओं और ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए अलग-अलग प्रारूप दिए गए। डिजिटल मीडिया प्रकाशकों को जून, 2021 और सितंबर, 2021 में सूचना प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मारक भी भेजे गए हैं। अक्टूबर 2021 में, मंत्रालय ने यूट्यूब को एक पत्र जारी किया जिससे यूट्यूब आधारित डिजिटल समाचार चैनलों से जानकारी प्रस्तुत करने में आसानी होगी। इस संबंध में यूट्यूब ने जानकारी दी है कि यूट्यूब प्रयोक्ताओं को इस आशय की अधिसूचना भेज दी गई है। नवंबर, 2021 में यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों को ईमेल भी भेजे गए थे। इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि 07.01.2022 तक 2,349 डिजिटल मीडिया प्रकाशकों ने मंत्रालय को जानकारी प्रस्तुत की है।

उपर्युक्त डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्मों ने नियमों के तहत तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के स्तर- I के रूप में एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। एक शिकायत अधिकारी की स्थापना के माध्यम से, नियमों ने प्रकाशक द्वारा स्व-नियमन के लिए एक तंत्र को संस्थागत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसके अलावा, शिकायत निवारण तंत्र के स्तर- II पर प्रकाशकों या उनके संघों द्वारा गठित स्व-नियामक निकायों (एसआरबी) की स्थापना के साथ, नियमों ने इसमें सरकार की किसी

भी भागीदारी के बिना उद्योग स्तर के स्व-विनियमन के लिए एक तंत्र को संस्थागत रूप दिया है। मंत्रालय के साथ पांच स्व-नियामक निकाय (एसआरबी) पंजीकृत किए गए हैं।

नियमों की अधिसूचना के बाद से, डिजिटल मीडिया प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता बनाने के साथ, मंत्रालय में प्राप्त डिजिटल मीडिया सामग्री से संबंधित शिकायतों में काफी गिरावट आई है। ये शिकायतें नियमों के अनुसार प्रकाशकों को हस्तांतरित की जाती हैं।

आईटी नियम, 2021 के नियम 19 के अनुसार, मंत्रालय ने सार्वजनिक सूचना दिनांक 09 सितंबर 2021 के माध्यम से, प्रकाशकों और स्व-नियामक निकायों द्वारा प्राप्त और निपटाई जा रही शिकायतों के मासिक प्रकटीकरण के लिए प्रारूप जारी किए।

शिकायत निवारण तंत्र के स्तर- III, प्राधिकृत अधिकारी, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और डोमेन विशेषज्ञों से मिलकर अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया गया है। इस संबंध में, आईडीसी में शामिल क्षेत्र विशेषज्ञ भारतीय प्रेस परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के नामिती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से नामांकन का अभी इंतजार है।

दिसंबर 2021 में, आईटी नियम, 2021 के नियम 16 के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंत्रालय ने यूट्यूब पर 20 समाचार चैनलों और 2 समाचार वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया। जनवरी 2021 में, यूट्यूब पर 35 समाचार चैनलों, 2 समाचार वेबसाइटों, 2 ट्विटर अकाउंटों, 1 फेसबुक अकाउंट और 2 इंस्टाग्राम अकाउंटों को ब्लॉक करने के लिए इसी तरह के आदेश जारी किए गए थे।

डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों की सामग्री को विनियमित करने के लिए संस्थागत तंत्र के आने से, इन प्लेटफार्मों पर सामग्री के बारे में आम नागरिकों की शिकायतों को नियमों के अनुसार निपटाया जा रहा है। इस संबंध में नियमों की नागरिक केंद्रित और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से ऑनलाइन/डिजिटल मीडिया पर फर्जी खबरों के खतरे से लड़ने में मदद करेंगे।

आईटी नियम, 2021 के तहत सूचना प्रकटीकरण के तंत्र के माध्यम से, डिजिटल मीडिया प्रकाशकों की अपने दर्शकों के प्रति उत्तर देही सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, नियम डिजिटल मीडिया प्रकाशकों को मान्यता प्रदान करने और भविष्य के समन्वय के लिए एक तंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के भाग-III के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

- माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने 4 मार्च, 2021 को ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ, 11 मार्च, 2021 को डिजिटल समाचार प्रकाशकों के प्रतिनिधियों और 26 मार्च, 2021 को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

- आईटी नियम, 2021 पर सूचना पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें विभिन्न पहलुओं को सरल भाषा में समझाया गया है और मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

- आईटी नियम, 2021 के विभिन्न पहलुओं पर हिंदी और अंग्रेजी में व्यापक 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तैयार किए गए हैं और इन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। नागरिकों के लाभ के लिए, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, कन्नड़, खासी, गुजराती, पंजाबी, असमिया, मराठी, बांग्ला और मणिपुरी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। .

- 9 मार्च, 2021 को, मैटी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सामूहिक रूप से माननीय संसद सदस्यों के समक्ष ब्रीफिंग और प्रस्तुति का आयोजन किया गया।

- नागरिकों के लाभार्थ को 25 मार्च, 2021 को देशभर के विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया जिसमें उन्हें नियमों की जानकारी दी गई।

- नियमों की अधिसूचना के बाद, सोशल मीडिया पर नियमों के विभिन्न पहलुओं पर इन्फोग्राफिक्स का प्रसार किया गया।

इसके अलावा, हितधारकों के साथ सीधे जुड़ाव के हित में, मंत्रालय ने जागरूकता सृजन के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर 11 वेबिनार आयोजित किए हैं। वेबिनार में निम्नलिखित सहित कुल 2,400 से अधिक हितधारकों की भागीदारी शामिल रही:

- स्टैंडअलोन डिजिटल समाचार प्रकाशकों के प्रतिनिधि
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया के संपादक और प्रबंधन प्रतिनिधि
- ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि, सामग्री प्रबंधक
- पत्रकारिता संकाय और छात्र
- डिजिटल मीडिया प्रकाशकों के संघों के प्रतिनिधि

वेबिनार का विवरण	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
गुजरात क्षेत्र के लिए वेबिनार	8 अप्रैल, 2021	75
फिक्की के सहयोग से वेबिनार	7 जून, 2021	175
सीआईआई के सहयोग से वेबिनार	15 जून, 2021	100
दक्षिणी क्षेत्र के लिए वेबिनार (5 राज्य)	26 जून, 2021	240
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए वेबिनार	30 जून, 2021	260
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मीडिया से बातचीत	2 जुलाई, 2021	50
उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड के लिए वेबिनार	7 जुलाई, 2021	448
महाराष्ट्र, गोवा के लिए वेबिनार	12 जुलाई, 2021	320
पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए वेबिनार	14 जुलाई, 2021	278

हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए वेबिनार	20 जुलाई, 2021	341
भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के सहयोग से वेबिनार	20 अगस्त, 2021	160
कुल		2,447

वेबिनार में दो चरणों का प्रारूप था- 30 मिनट के लिए डिजिटल मीडिया आचरण संहिता पर एक प्रस्तुति, इसके बाद 2 घंटे 30 मिनट के लिए एक मुक्त प्रवाह प्रश्नोत्तर सत्र था। प्रत्येक वेबिनार में लगभग 50-60 प्रश्न पूछे जाने के साथ, वेबिनार ने संदेह और आशंकाओं को स्पष्ट किया और सुझाव प्राप्त करने का एक तरीका भी दिया।स्वतंत्र भाषण, पत्रकारिता की स्वतंत्रता और कलात्मक रचनात्मकता के संबंध में हितधारकों की चिंताओं को भी वेबिनार के माध्यम से संबोधित किया गया। हितधारकों को यह सूचित किया गया कि डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए आचार संहिता, भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता के पालन के लिए प्रदान करती है। ये पारंपरिक समाचार मीडिया के लिए पूर्व परिक्षित मानदंड/संहिताएं हैं जिन्होंने पत्रकारिता संबंधी स्वतंत्रता की रक्षा की है। इसी तरह, ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए आचार संहिता सामग्री के स्व-वर्गीकरण के लिए प्रदान करती है, और इसलिए सरकार द्वारा अनिवार्य पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। वेबिनार से सीखने, प्रस्तुतिकरण और आमतौर पर पूछे जाने वाले संदेह वाली एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है और इसे एमआईबी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय के साथ समन्वय:

नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय के बीच कई स्तरों पर समन्वय स्थापित किया गया है। नियम बनाने और अधिसूचना की प्रक्रिया के दौरान दोनों मंत्रालयों ने मिलकर काम किया। अधिसूचना के बाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय दोनों ने 9 मार्च, 2021 को और 15 मार्च, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष

माननीय संसद सदस्यों को एक साथ जानकारी दी । दोनों मंत्रालय स्थायी समिति द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संबंध में इनपुट तैयार करने के लिए भी समन्वय कर रहे हैं। दोनों मंत्रालयों द्वारा अपने-अपने डोमेन से संबंधित पहलुओं पर नियमों के विभिन्न पहलुओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए गए हैं। बैठकों और चर्चाओं के माध्यम से मंत्रालयों ने नियमों के कार्यान्वयन पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया है।

आईटी नियम, 2021 का भाग-III डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों से संबंधित है, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

1 मार्च, 2021 को, मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने एक स्थानीय समाचार पोर्टल को एक नोटिस जारी कर प्रकाशक को निर्देश दिया कि वह आईटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज जिला मजिस्ट्रेट को जारी करे। नोटिस से अवगत होने पर, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर, मुख्य सचिव, मणिपुर को पत्र लिखकर सूचित किया कि आईटी नियम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शासित हैं, जिनके पास जानकारी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है जो राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन को प्रत्यायोजित किया जा रहा है। उपरोक्त संचार के साथ, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त नोटिस को वापस ले लिया गया।

03 मार्च, 2021 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को एक पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आईटी नियम, 2021 के भाग-III के तहत कोई भी अधिकार राज्य सरकारों/जिला मजिस्ट्रेटों/पुलिस आयुक्तों को नहीं सौंपा गया है। उपरोक्त संचार के जारी होने के बाद से जिला/राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा आईटी नियम, 2021 के दुरुपयोग/गलत व्याख्या की कोई घटना सामने नहीं आई है।

दिसंबर, 2021 में, मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के सूचना और जनसंपर्क विभागों (डीआईपीआर) के अधिकारियों को नियमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचित करते हुए एक पत्र जारी किया। इस संचार के माध्यम से, सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ निम्नलिखित संसाधन सामग्री की कई भौतिक प्रतियां भी अधिकारियों के साथ साझा की गईं:

- आईटी नियम, 2021;
- सूचना पुस्तिकाएं (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सहित); तथा

- मंत्रालय द्वारा आयोजित जागरूकता पहलों और वेबिनार पर पुस्तिकाएं।

मंत्रालय ने डीआईपीआर से अनुरोध किया है कि वे संसाधन सामग्री को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ उनकी जानकारी और समझ के लिए साझा करें। मंत्रालय ने राज्यों/जिलों के अधिकारियों के साथ वेबिनार आयोजित करने की इच्छा के बारे में भी सूचित किया है।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

<u>प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)</u>

(सिफारिश क्रम संख्या **18)**

समिति नोट करती है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न रूपों के लिए एफडीआई अलग-अलग कंपनियों के लिए अलग-अलग है। समाचार और समसामयिक प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तथा इनसे संबंधित विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के लिए एफडीआई की सीमा 26% है और इसे सरकारी माध्यम से किया जाता है जबकि सरकारी माध्यम से ही किए जाने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं/विशेष जर्नल/और आवधिक पत्रिकाओं के प्रकाशन/मुद्रण करते समय इसके प्रतिकृति संस्करण पर एफडीआई की सीमा 100 प्रतिशत है। प्रसारण क्षेत्र में भी इक्विटी/एफडीआई की उच्चतम सीमा का प्रतिशत 49 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है और क्षेत्रीय उच्चतम सीमा 26 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है और इसका प्रवेश मार्ग सरकारी/ऑटोमेटिक है। डी टी एच और एच आई टी दिशानिर्देश 20 से 74 प्रतिशत तक अलग अलग है और प्रवेश मार्ग तथा प्रबंधन नियंत्रण में भी अंतर है। समिति, मंत्रालय की इस चिंता को कि 'समाचारपत्रों' की एफडीआई की एक सीमा होती है किंतु ऑनलाइन समाचार के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है, को भी नोट करती है।

इस बात को नोट करते हुए कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एफडीआई से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणी वाणिज्य मंत्रालय और औद्योगिक प्रोत्साहन तथा आंतरिक व्यापार विभाग

(डीपीआईआईटी) को दिया है, समिति दोनों मंत्रालयों की प्रतिक्रियाओं से अवगत होना चाहेगी। समिति महसूस करती है कि मीडिया क्षेत्र में सीमा के भीतर एफडीआई प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा सकारात्मक संतुलन को बनाए रखना और आचार नीति के मानकों में कदाचार को रोकने के लिए अच्छा हो सकता है। तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया के लिए एफडीआई नियम इस प्रकार संगत बनाए कि कमी वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सके और इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए इस उद्योग को सहायता दी जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मीडिया से संबंधित एफडीआई नियमों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) के संबंध में मंत्रालय ने अपने 30.12.2020 के आदेश के तहत डीटीएच दिशानिर्देशों में संशोधन किया है और एफडीआई सीमा/अनुमोदन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) संवर्धन विभाग द्वारा जारी मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया है। तद्नुसार डीटीएच में 100 प्रतिशत इक्विटी/एफडीआई की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन है, जिसमें सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता भी शामिल है।

ऑनलाइन मीडिया के संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2019 की प्रेस नोट संख्या 4 दिनांक 18.09.2019 के माध्यम से सरकार ने "डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक मामलों को अपलोड/स्ट्रीमिंग" में लगी संस्थाओं में सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से 26% एफडीआई की अनुमति दी है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण 16.10.2020 को निम्नानुसार जारी किया गया था:

(i) सरकारी मार्ग के माध्यम से 26% एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय भारत में पंजीकृत या स्थित भारतीय संस्थाओं की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होगा:

(क) वेबसाइटों, ऐप्स या अन्य प्लेटफॉर्म पर समाचार और समसामयिक मामलों को स्ट्रीमिंग/अपलोड करने वाली डिजिटल मीडिया इकाई;
(ख) समाचार एजेंसी जो डिजिटल मीडिया संस्थाओं और/या समाचार एग्रीगेटर के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाचार एकत्र करती है, लिखती है और वितरित/प्रसारित करती है; तथा

(ग) समाचार एग्रीगेटर, निकाय जो सॉफ्टवेयर या वेब एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए, समाचार वेबसाइट, ब्लॉग, पॉडकास्ट, वीडियो ब्लॉग, उपयोगकर्ता द्वारा सबमिट किए गए लिंक आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से समाचार सामग्री को एकत्रित करता है।

(ii) उपरोक्त (i) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को इस स्पष्टीकरण के जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर केंद्र सरकार के अनुमोदन से अपने एफडीआई को 26% के स्तर के अनुरूप करने की आवश्यकता होगी।

एफडीआई नीति और आवेदन फेमा अधिसूचना का अनुपालन निवेशिती इकाई की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा, यह संस्था निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगी:

(क) कंपनी के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे;
(ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय नागरिक होगा;
(ग) इस संस्था को नियुक्ति, अनुबंध या परामर्श के माध्यम से या किसी अन्य क्षमता में संस्था के कामकाज के लिए एक वर्ष में 60 दिनों से अधिक के लिए तैनात किए जाने वाले सभी विदेशी कर्मियों को उनकी तैनाती से पहले सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। किसी भी विदेशी कर्मचारी की सुरक्षा मंजूरी से इनकार किए जाने या किसी भी कारण से वापस लेने की स्थिति में, निवेश प्राप्तकर्ता संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित व्यक्ति सरकार से इस तरह के निर्देश प्राप्त करने के बाद इस्तीफा दे दे या उसकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाए।

समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए तथा प्रिंट के साथ-साथ डिजिटल मीडिया और समाचार एजेंसियों को समाचार और समसमायिक मामलों से संबंधित विदेशी पत्रिका के भारतीय संस्करण के प्रकाशन के लिए सरकारी मार्ग से 26% की एफडीआई सीमा समान है।
[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंड II) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

विविध

(क) पेड न्यूज

(सिफारिश क्रम संख्या 19)

समिति को ज्ञात हुआ कि भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद (जांच की प्रक्रिया) विनियमन, 1979 के अनुरूप पेड न्यूज की शिकायतों का निवारण करता है। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पास 'पेड न्यूज' से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक सुविकसित तंत्र है। पीसीआई की एक उप-समिति ने पेड न्यूज पर 2010 में अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व (पीआर) अधिनियम, 1951 में संशोधन की सिफारिश की थी ताकि पेड न्यूज की घटनाओं को एक दंडनीय चुनावी कदाचार बनाया जा सके। ईसीआई ने यह भी प्रस्ताव किया था कि पीआर अधिनियम, 1951 में पेड न्यूज को प्रकाशित करना और इसके प्रकाशन के दुष्प्रेरण को उल्लेखनीय दंड के साथ एक चुनावी अपराध बनाया जाए। तथापि, इस मामले को विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा गया जिसने इसे भारत के विधि आयोग को भेज दिया तथा इसने 12 मार्च 2015 को चुनावी सुधार पर अपना 255वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाने की सिफारिश की गई थी। इसके पश्चात विधि और न्याय मंत्रालय ने विधि आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु एक कार्यबल का गठन किया और इसने 2016 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दोनों प्रतिवेदन विधि और न्याय मंत्रालय में विचाराधीन है। समिति चाहती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाने के लिए विधि आयोग की सिफारिशों के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु विधि और न्याय मंत्रालय के साथ मामले को उठाए ताकि फेक न्यूज की घटनाओं पर इसका निरोधात्मक प्रभाव पड़े। समिति को मामले में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

'पेड न्यूज' के मुद्दे को समय-समय पर विभिन्न मंचों पर उठाया और विचार-विमर्श किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने सूचित किया कि भारत के विधि आयोग ने अपनी 255 वीं रिपोर्ट में 'पेड न्यूज' के मुद्दे पर भी चर्चा की थी और विधि आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में एक टास्क फोर्स का

गठन किया गया है। टास्क फोर्स समिति ने इसे लागू करने के लिए 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। दोनों रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन हैं। विधि और न्याय मंत्रालय के साथ मामले को नियमित रूप से आगे बढ़ाया जाता है।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

<u>शिकायत निवारण तंत्र</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 22)

समिति नोट करती है कि वर्तमान में किसी व्यक्ति की शिकायत के निवारण, यदि उसके विरुद्ध कुछ लिखा गया है, के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं है। जैसा कि मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, मंत्रालय लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न स्तरों पर विनियमन बनाने की योजना बना रहा है। इस संबंध में समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह सभी स्तरों अर्थात जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर ऐसे शिकायत निवारण तंत्र को शामिल करें और इन्हें लोगों के अनुकूल बनाये। इसके अलावा, सभी टीवी चैनलों, समाचार पत्रों आदि में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र/प्रकोष्ठ/लोकपाल होने चाहिए और इस संबंध में सूचना समाचार पत्र या पत्रिका या उनके चैनल के स्क्रोल पर मुद्रित होनी चाहिए। समिति मंत्रालय से यह भी सिफारिश करती है कि वह मीडिया हेल्पलाइन नंबर बनाने की संभावना तलाशे ताकि शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाया जा सके जिससे न केवल पीड़ित व्यक्ति/संगठन को मदद मिलेगी बल्कि इससे मीडिया में आचार नीति के मानकों को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

<u>सरकार का उत्तर</u>

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 416 (अ.) दिनांक 17.06.2021 द्वारा संशोधित किया गया है, जिससे टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की परिवादों/शिकायतों के निवारण के लिए एक सांविधिक तंत्र प्रदान किया गया है। इन नियमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाता है।

इन नियमों में प्रावधान है कि प्रसारक द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और उससे संबंधित परिवाद या शिकायत, यदि कोई हो, को देखने के लिए, तीन-स्तरीय संरचना (शिकायत निवारण संरचना) निम्नानुसार होगी,

स्तर I - प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन;

स्तर II - प्रसारकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-विनियमन; तथा

स्तर III - केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र।

संशोधित केबल नियमों के नियम 19 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार प्रसारणकर्ता द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुपालन में समन्वय और सुविधा प्रदान करेगी, निगरानी तंत्र विकसित करेगी जिसके कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, शिकायतों या परिवादों की सुनवाई के लिए एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) की स्थापना करना और नियम 17 के तहत स्व-विनियमन निकाय के निर्णय से उत्पन्न आईडीसी शिकायतों या शिकायतों का संदर्भ लेंना, या यदि स्व-नियामक निकाय द्वारा निर्धारित समय के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, या कार्यक्रम संहिता या विज्ञापन संहिता के उल्लंघन से संबंधित ऐसी अन्य शिकायतों या संदर्भों की प्राप्ति, जिन्हें वह आवश्यक समझे, शामिल है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसरण में दिनांक 14.07.2021 को अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया गया है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 18 के तहत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित निकायों को लेवल-II स्व-नियामक निकायों के रूप में पंजीकृत किया गया है:

(क) इसके सदस्यों के रूप में 309 टीवी चैनलों के साथ प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी)

(ख) इसके सदस्य के रूप में 41 टीवी चैनलों के साथ समाचार प्रसारक संघ- प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी" (एनबीएफ-पीएनबीएसए)

प्रिंट मीडिया के लिए

भारतीय प्रेस परिषद प्रिंट मीडिया में सामग्री के 'पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का उल्लंघन करने वाली सामग्री का स्वत: संज्ञान या शिकायतों पर संज्ञान लेती है। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के अनुसार, परिषद, जांच करने के बाद, समाचार पत्र, समाचार

एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी, सलाह या निंदा कर सकती है या संपादक या पत्रकार के आचरण को अस्वीकार कर सकती है, जैसा भी मामला हो। इसलिए, प्रिंट मीडिया में प्रकाशित सामग्री से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, पीड़ित व्यक्ति "शिकायत तंत्र" के प्रावधानों के अनुसार, जो परिषद की वेबसाइट www.prescouncil.nic.in पर दिया गया है, सचिव, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से सीधे संपर्क कर सकता है।

इसके अलावा, प्रेस परिषद (जांच के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 के पैरा 3 (ग) के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, परिषद के समक्ष शिकायत दर्ज करने से पहले, समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या अन्य संबंधित पत्रकार का ध्यान समाचार पत्र आदि में आने वाले मामले या उसके गैर-प्रकाशन के लिए, जो शिकायतकर्ता की राय में आपत्तिजनक है की ओर आकर्षित करेगा और वह समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या कार्यरत पत्रकार, जैसा भी मामला हो, को ऐसी राय रखने का आधार भी प्रस्तुत करेगा। शिकायतकर्ता, शिकायत के साथ, उसके द्वारा समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या अन्य कामकाजी पत्रकार को लिखे गए पत्र की एक प्रति, उसके द्वारा प्राप्त उत्तर की एक प्रति, यदि कोई हो, के साथ संलग्न करेगा, बशर्ते कि अध्यक्ष अपने विवेक से इस शर्त को छोड़ सकता है।

डिजिटल मीडिया के लिए:

डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों की सामग्री को विनियमित करने के लिए संस्थागत तंत्र विकसित होने के बाद, इन प्लेटफार्मों पर सामग्री के बारे में आम नागरिकों की शिकायतों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार निष्पादित किया जा रहा है। । इस संबंध में नियम, नागरिक केंद्रित और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से ऑनलाइन/डिजिटल मीडिया पर फर्जी खबरों के खतरे से लड़ने में मदद करेंगे।

आईटी नियम, 2021 के तहत सूचना प्रकटीकरण के तंत्र के माध्यम से डिजिटल मीडिया प्रकाशकों की अपने दर्शकों के प्रति उत्तर देही सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, ये नियम डिजिटल मीडिया प्रकाशकों को मान्यता प्रदान करने और भविष्य में समन्वय बनाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जब डीटीएच/एचआईटीएस या टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के संबंध में कोई भी सार्वजनिक शिकायत ऑनलाइन जीपीजीआरएएमएस पोर्टल या भौतिक रूप से प्राप्त होती है, तो यह मंत्रालय उसे संबंधित कंपनी को निवारण के लिए अग्रेषित करता है । संबंधित कंपनी के उत्तर के आधार पर, यह मंत्रालय उसके अनुसार जनता की शिकायतों का निवारण करता है। 01.01.2017 से 22.12.2021 की अवधि के लिए शिकायतों के निपटान पर रिपोर्ट निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है: -

शिकायत का स्रोत	**उक्त अवधि के दौरान कुल प्राप्ति**	**उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलें**
डीएआरपीजी	987	986
स्थानीय/इंटरनेट	5312	5308
राष्ट्रपति सचिवालय	53	53
पीएमओ	1526	1525
कुल योग	7878	7872

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंड II) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

अध्याय- III

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

<u>मीडिया आयोग का गठन</u>

(सिफारिश क्रम संख्या **23)**

इस प्रतिवेदन के अंतर्गत आने वाली समस्याओं की विस्तृत जटिलताओं को देखते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि एक मीडिया आयोग को नियुक्त किया जाए जो प्रतिवेदन के अंतर्गत आए सभी पहलुओं पर सिफारिश करे। मीडिया आयोग विशेषज्ञों के साथ-साथ हितधारकों से बना एक वृहद निकाय हो जिसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक सख्त समय-सीमा प्रदान की जाए। समिति यह भी चाहती है कि मीडिया आयोग के प्रतिवेदन को मीडिया आयोग के कार्य आरंभ करने के 6 माह के भीतर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

किसी भी क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य के बारे में जानकारी एकत्र करने या भविष्य के लिए अनुमान/सिफारिशें आदि बनाने में आयोग की प्राथमिक भूमिका होती है। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) वार्षिक रूप से भारत में प्रेस, विशेष रूप से प्रचलित नई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सभी उपलब्ध सूचनाओं और आंकड़ों के बारे में एक रिपोर्ट निकालते हैं। वर्तमान परिदृश्य, विकास दर, भविष्य के अनुमानों जिनका उपयोग किया जा सकता है आदि को सामने लाने के लिए विभिन्न औद्योगिक मंचों/निकायों की रिपोर्ट समय-समय पर मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में प्रकाशित की जाती हैं, ऐसे सभी डेटा, सूचना सरकार के पास उपलब्ध हैं और नीति और उनके कार्यान्वयन के मामलों पर विधिवत विचार किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, मीडिया आयोग की स्थापना सीमित उद्देश्य की पूर्ति करेगी।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंड II) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

अध्याय IV

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और उन्हें दोहराने की आवश्यकता है

(सिफारिश क्रम संख्या **3)**

II. <u>प्रिंट मीडिया</u>

(i) <u>प्रिंट मीडिया में नैतिक मानकों का पालन करने के लिए मौजूदा संहिता/अधिनियम/तंत्र</u>

समिति नोट करती है कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई), प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत एक सांविधिक, अर्ध-न्यायिक निकाय है जो कि प्रेस के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यह नैतिकता के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए क्रमशः प्रेस के विरुद्ध और उसकी शिकायतों पर निर्णय करता है। प्रिंट मीडिया के लिए नैतिक मानदंडों को संहिताबद्ध करने के लिए अपनाए गए मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि समाचार, विचार, टिप्पणियां और सूचना प्रेस द्वारा सार्वजनिक हित में सही, सटीक, निष्पक्ष और सभ्य तरीके से प्रसारित की जाए तथा समाज और संबंधित व्यक्तियों एवं संस्था पर इसके रिपोर्टिग के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखा जाए। एक अन्य मानदंड है प्रायोजित समाचार की सामग्री पर ध्यान देना जोकि सामने आया है, और गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को नुकसान पहुंचा रहा है। अधिनियम की धारा 14, परिषद को, यदि उसे यह पता चलता है कि किसी समाचार-पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता नैतिकता या सार्वजनिक आचरण के मानकों को ठेस पहुंचाई है अथवा किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार के विरुद्ध पेशेवर दुराचरण की शिकायत प्राप्त हुई है, तो उस स्थिति में उसे समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी संपादक या संबंधित पत्रकार को चेतावनी देने, तलब करने या सेंसर करने अथवा संपादक या पत्रकार के आचरण को अनुचित करार देने का अधिकार प्रदान करती है। इसके अलावा, पीसीआई ने प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13(1) के तहत समाचार-पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों को प्रिंट मीडिया पत्रकारिता में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए और पत्रकारों को नैतिक सीमाओं के भीतर पेशे का अभ्यास करने के लिए पत्रकारिता आचरण के मानदंड तैयार किए हैं, जो सिद्धांतों और नैतिकता के साथ-साथ विशिष्ट मुद्दों पर विस्तृत दिशा-

निर्देशों को कवर करते हैं एवं समय-समय पर इसके द्वारा प्रदान किए गए महत्वपूर्ण न्यायनिर्णयों के आधार पर नए मानदंडों को शामिल करते हुए परिषद द्वारा इसे लगातार अद्यतन किया जा रहा है।

तथापि, समिति यह जानकार अत्यधिक व्यथित है कि दोषी समाचार-पत्र पीसीआई द्वारा सेंसर किए जाने के बाद भी वही गलतियां दोहराते हैं जब तक कि भारत सरकार की नीति के अनुसार उस विशेष समाचार-पत्र को ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) द्वारा निश्चित समयावधि के लिए विज्ञापनों को रोके जाने की कार्रवाई नहीं की जाती। यह नोट करना आश्चर्यजनक है कि बीओसी द्वारा ऐसे समाचार-पत्रों के खिलाफ निर्णय लेने में बहुत समय लगता है जो अंतत: निर्णय के प्रभाव को कमजोर करते हैं। अनुमानतः, आज पीसीआई एक समाचार-पत्र को सेंसर करने का निर्णय लेता है, बीओसी को सरकारी विज्ञापन को रोकने का निर्णय लेने में लगभग एक साल लगता है। इसलिए प्रेस परिषद ने प्रस्ताव किया है कि भारत सरकार पीसीआई के निर्णयों पर कार्रवाई करने के लिए बीओसी के लिए एक निश्चित समयावधि निर्धारित करे और ऐसे दोषियों को सरकारी विज्ञापन देने से रोक दें ताकि दोषी समाचार-पत्रों पर पीसीआई के निर्णय को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। समिति का मानना है कि पीसीआई का प्रस्ताव सही है जिससे न केवल उन्हें भेजे गए मामलों पर बीओसी द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी बल्कि दोषी समाचार-पत्रों पर भी निवारक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, समिति सूचना और प्रसारण मंगलय से भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने और बढ़ावा देने के हित में पीसीआई द्वारा सेंसर किए गए मामलों पर कार्रवाई करने के लिए बीओसी के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित करने का आह्वान करती है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

बीओसी मौजूदा प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020, धारा 17(vii) के प्रावधानों के अनुसार पीसीआई द्वारा सेंसर किए गए प्रकाशनों पर जुर्माना लगाता है। जिसका सार निम्नानुसार है:

"जुर्माना: यदि पीसीआई द्वारा किसी प्रकाशन को 'पत्रकारिता आचरण के मानदंडों' का उल्लंघन करने या किसी राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल होने के लिए पाया जाता है; बीओसी द्वारा ऐसे प्रकाशनों पर निम्नानुसार दंड लगाया जा सकता है:

क. पहले अपराध पर प्रकाशन के संस्करण के लिए चेतावनी या पंद्रह (15) दिनों का निलंबन।

ख. दूसरे अपराध पर प्रकाशन के उसी संस्करण के लिए दो (2) महीने का निलंबन ।

ग. तीसरे अपराध पर प्रकाशन के उसी संस्करण के लिए छह (6) महीने का निलंबन ।

पीसीआई द्वारा सेंसर किए गए समाचार पत्र/प्रकाशन, जो बीओसी के पैनल में हैं, को 2 महीने की अवधि के लिए बीओसी के पैनल से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि जो समाचार पत्र/प्रकाशन बीओसी के पैनल में नहीं हैं और जिन्हें पीसीआई द्वारा सेंसर किया गया है, उन्हें 2 महीने की समान अवधि के लिए पैनलबद्ध नहीं रखा जाएगा या फिर से पैनलबद्ध नहीं किया जाएगा।

विगत 5 वर्षों के दौरान, पीसीआई ने 142 प्रकाशनों को सेंसर किया। इसमें से बीओसी ने पैनल में शामिल 112 प्रकाशनों को निलंबित कर दिया है। शेष 30 सेंसर किए गए प्रकाशन बीओसी पैनल पर नहीं थे। विवरण नीचे दिए गए हैं:

पीसीआई संदर्भ तिथि	बीओसी .द्वारा की गई कार्रवाई	प्रकाशनों की संख्या
21.07.2016	17.08.2016	5
06.04.2017	18.05.2017	1
09.06.2017 और 04.07.2017	17.07.2017	3
18.07.2017	13.09.2017	51

22.11.2019	10.07.2020	42
29-30.09.2020	20.10.2020	1
28.01.2021	12.02.2021	6
04-07.06.2021	28.06.2021	3
कुल		112

तदनुसार, बीओसी ने दिशा-निर्देशों/नीति प्रावधानों का पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से पीसीआई द्वारा सेंसर किए गए प्रकाशनों के खिलाफ कार्रवाई की है।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. **7** देखें)

(सिफारिश क्रम संख्या **6)**

समिति को सूचित किया गया है कि पीसीआई ने 29.05.2019 को आयोजित अपनी बैठक में इस सुझाव के साथ एक प्रस्ताव पारित किया था कि जब प्रिंट मीडिया में भारतीय प्रेस परिषद के रूप में सतर्क निकाय है, तो क्या संपूर्ण मीडिया अर्थात प्रिंट या अन्य रूप में समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं, ई-समाचार पत्र, समाचार पोर्टल, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा समाचार प्रसार के किसी अन्य समानांतर मंच की आवश्यकता है। पीसीआई ने सरकार को एक ही कानून बनाने के लिए सिफारिश की है ताकि सभी उपरोक्त मीडिया को प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की तर्ज पर शामिल किया जा सके। पीसीआई के अध्यक्ष ने कहा कि कुछ

महीने पहले उन्हें प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार चैनलों के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं, लेकिन वह उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं थे।

समिति ने यह भी देखा कि पीसीआई, प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करने वाली सांविधिक संस्था शिकायतों का निराकरण कर सकती है और समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या संबंधित पत्रकार को चेतावनी देने, तलब करने या निंदा करने की शक्ति रखती है। तथापि, उसके पास अनुपालन लागू कराने की शक्ति नहीं है क्योंकि पीसीआई द्वारा जारी सलाह अदालत में लागू नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, समाचार प्रसारण को नियंत्रित करने वाले स्व-संगठित समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) को शास्ति लगाने की शक्ति है, लेकिन इसका क्षेत्राधिकार केवल उन संगठनों पर लागू है जो समाचार प्रसारक संघों (एनबीए) के सदस्य हैं। इसलिए इसकी प्रभावकारिता इसके आदेशों के स्वैच्छिक अनुपालन तक ही सीमित है और इसी पर निर्भर करती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति का दृढ़ मत है कि सभी तरह की मीडिया को शामिल करने के लिए पीसीआई को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है, और इसलिए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय पीसीआई को एक व्यापक मीडिया परिषद स्थापित करने की संभावना का पता लगाए जिसमें न केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया जाए और जहां आवश्यक हो, उसे अपने आदेशों का प्रवर्तन करने के लिए सांविधिक शक्तियां प्रदान की जाए, ताकि इसे मीडिया परिदृश्य के समग्र दृष्टिकोण हेतु सक्षम बनाया जा सके तथा अनियमितताओं को रोकने, वाक् और पेशे की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, और उच्चतम नैतिक मानदंड और विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु उचित कदम उठाए जा सकें, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तथापि, इस संबंध में समिति इस बात की आवश्यकता महसूस करती है कि सर्वसम्मति बनाने के लिए इच्छुक समूहों/हितधारकों के मध्य व्यापक विचार-विमर्श के लिए भारत सरकार विशेषज्ञों वाला एक मीडिया आयोग बनाए। इस बीच, इस पर निर्णय लंबित होने तक समिति चाहती है कि मंत्रालय ई-समाचार पत्रों की निगरानी के लिए नियामक ढांचे को व्यापक बनाने की संभावना तलाश करे।

<u>सरकार का उत्तर</u>

"मंत्रालय को पहले भारतीय प्रेस परिषद से विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों को रखते हुए मीडिया परिषद के गठन के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

वर्तमान में, विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के लिए अलग-अलग नियामक तंत्र पहले से मौजूद हैं - प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद, टेलीविजन के लिए केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2000 के तहत (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 जैसा कि प्रत्येक प्लेटफॉर्म अपने तरीके से अद्वितीय और विशिष्ट है, उन्हें एक नियामक ढांचे के तहत एकीकृत और विलय करना वांछनीय नहीं हो सकता है।"

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 10 देखें)

<u>प्रिंट मीडिया द्वारा नैतिक मानकों के अनुपालन नहीं करने के मामले</u>

(सिफारिश क्रम संख्या **7)**

समिति नोट करती है कि प्रिंट मीडिया द्वारा नैतिक मानकों के उल्लंघन पर, प्रेस परिषद समाचार-पत्रों को निर्देश देती है कि वे शिकायतकर्ता के संस्करण को प्रकाशित करने के लिए शुद्धि-पत्र या प्रत्यक्ष प्रतिवादी पत्र प्रकाशित करें और निपटारे के लिए पक्षकारों का किसी समाधान पर पहुंचने का प्रयास करें। पत्रकारिता आचरण के घोर उल्लंघन के मामलों में पत्रों को चेतावनी दी जाती है, फटकारा जाता है और निंदा की जाती है। इसके अलावा, जिन मामलों में समाचार-पत्रों को सेंसर किया जाता है, पीसीआई अपने स्तर पर ऐसे निर्णयों पर आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित सरकार को अग्रेषित करता है तथापि, समिति यह देखकर निराश है कि पीसीआई के निर्णय जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास भेजे गए थे, उन पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं है। विगत 5 वर्षों के दौरान, पीसीआई ने "पत्रकारिता के मानकों" का उल्लंघन करने के लिए 142 समाचार-पत्रों को सेंसर किया और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को न्यायनिर्णयन हेतु अग्रेषित किया। यह स्पष्ट रूप से पत्रकारिता

आचरण के मानदंडों के उल्लंघन के लिए समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों आदि को दंडित करने के लिए पीसीआई की शक्तियों की सीमा को इंगित करता है। समिति का सुविचारित मत है कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि उसके कुशल कार्यान्वयन के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद न हो। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार को व्यापक और ठोस उपाय करने चाहिए ताकि समाचार-पत्रों और अन्य प्रकाशनों में नैतिकता के उल्लंघन के मामलों पर पीसीआई के निर्णयों को वास्तव में लागू किया जा सके अथवा तार्किक अंत तक पहुंचाया जा सके और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को पीसीआई द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराना अनिवार्य होना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

बीओसी के पैनल में शामिल समाचार पत्रों के संबंध में, बीओसी द्वारा उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। उन समाचार पत्रों के मामले में जो लोक संपर्क संचार ब्यूरो (बीओसी), नई दिल्ली के पैनल में या उसके साथ पंजीकृत नहीं हैं, भारतीय प्रेस परिषद के निर्णय आदेश संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को इसके सूचना और जनसंपर्क विभाग और उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित/अग्रेषित किए जाते हैं।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. **13** देखें)

<u>प्रसारण उद्योग द्वारा टीवी चैनलों में स्व-विनियमन</u>

(सिफारिश क्रम संख्या **14)**

"समिति नोट करती है कि निजी टीवी समाचार और गैर-समाचार चैनल स्व-विनियमन की प्रणाली द्वारा शासित होते हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), जो समाचार और

समसामयिक मामलों के टीवी चैनलों की प्रतिनिधि संस्था है, ने ऐसी ही एक प्रणाली विकसित की है। एनबीए ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) की स्थापना की है, जिसे प्रसारक को चेतावनी देने, भर्त्सना करने, निंदा करने, अस्वीकृति व्यक्त करने और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने और/या संहिता के उल्लंघन के लिए ऐसे प्रसारक के लाइसेंस को निलंबित/निरस्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को सिफारिश करने का अधिकार है। इसके अलावा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ), गैर-समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनलों का एक प्रतिनिधि निकाय है जिसने शिकायतों की जांच और समाधान के लिए प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी) की स्थापना की है। कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के मामले में बीसीसीसी संबंधित चैनल को ऐसी सामग्री को संशोधित करने या वापस लेने का निर्देश देती है और उल्लंघनों की प्रकृति के आधार पर अधिकतम 30 लाख रुपये तक का वित्तीय जुर्माना भी लगा सकती है। हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन नाम के एक नए स्वतः विनियामक एसोसिएशन की शुरुआत की गई है। इसी तरह एडवर्टाइजिंग स्टैंडड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) एक अन्य स्वतः विनियामक स्वैच्छिक संगठन है, जिसने विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों पर विचार करने के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) का गठन किया है।

जैसा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, सभी 926 निजी सेटेलाइट टीवी चैनल एनबीए और आईबीएफ के सदस्य नहीं हैं और इसलिए उन चैनलों के विरुद्ध शिकायत उचित कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेज दी जाती हैं। समिति ने यह भी नोट किया कि पिछले 5 वर्षों अर्थात, 2015 से 2019 के दौरान, यद्यपि कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के लिए 141 मामलों में कार्रवाई की गई, उनमें से 119 मामले ऐसे चैनलों से संबंधित थे जी आईबीएफ और एनबीए के सदस्य नहीं थे।

उपरोक्त के आलोक में समिति यह नोट कर संतोष व्यक्त करती है कि स्व-विनियामक निकाय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल 141 में से एनबीए और आईबीएफ सदस्यों के केवल 22 मामलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिससे यह पता चलता है कि गैर सदस्यों के संबंध में अनुपालन दर संतोषजनक नहीं है। इसलिए समिति का सुविचारित मत है कि मंत्रालय को प्रसारण

उद्योग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करना चाहिए और यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को स्व-विनियमन की प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए इस मामले की जांच करे तथा स्व-विनियमन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए। इस प्रकार मंत्रालय अपनी कुछ जिम्मेदारियों से भी छुटकारा पा सकता है, जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार से निपटने के लिए अतिरिक्त सहायता की भी आवश्यकता होती है।"

<u>सरकार का उत्तर</u>

"17.06.2021 को अधिसूचित केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तीन स्तरीय शिकायत निवारण ढांचे का प्रावधान हैं:

(i) स्तर I - प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन;

(ii) स्तर II - प्रसारकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-विनियमन; तथा

(iii) स्तर III - केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र।

स्तर-II में प्रसारकों के स्व-विनियमन निकाय द्वारा स्व-विनियमन का प्रावधान है जिसमें प्रत्येक स्व-विनियमन निकाय का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानवाधिकार या ऐसे अन्य संगत क्षेत्रों से एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, और इसमें अधिकतम अन्य सदस्य होंगे, जो मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानवाधिकार और ऐसे अन्य संगत क्षेत्रों से स्वतंत्र विशेषज्ञ होंगे।

स्व-विनियमन निकाय स्वयं को केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत करेगा। यह निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्: -

i) प्रसारक द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुरूप चलने तथा इनका अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने संबंधी देखरेख करेगा ;

ii) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रसारक का मार्गदर्शन करेगा;

iii) उन शिकायतों का निपटारा करेगा जिन्हें प्रसारक द्वारा पंद्रह दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर निपटाया नहीं गया है;

iv) शिकायतकर्ता द्वारा प्रसारक के निर्णय के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई करेगा;

v) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-नियम (5) में यथा निर्दिष्ट सहित किसी प्रसारक को ऐसे मार्गदर्शन या परामर्श जारी करेगा।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 18 के तहत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित निकायों को स्तर-II स्व-नियामक निकायों के रूप में पंजीकृत किया गया है:

(क) ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल (बीसीसीसी) जिसमें 309 टीवी चैनल इसके सदस्य होंगे।

(ख) न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन - प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी" (एनबीएफ-पीएनबीएसए) जिसमें 41 टीवी चैनल इसके सदस्य होंगे।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. **1**6 देखें)

<u>फेक न्यूज़</u>

(सिफारिश क्रम संख्या **20)**

फेक न्यूज की अफवाह फ़ैलाने वाले व्यक्ति से निपटने और उसे दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 जैसे कानून पहले से ही विद्यमान है। इसके अलावा, तथ्य जांच इकाई (एफसीयू) की स्थापना दिसंबर, 2019 में पीआईबी में की गई है और ऐसे एफसीयू पीआईबी के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी स्थापित किए गए हैं। इस प्रकोष्ठ को स्व-प्रेरणा से या इसके विभिन्न इनपुट तरीकों व्हाट्सएप हॉटलाइन

नम्बर, ट्विटर और पीआईबी की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में गलत जानकारी से निपटने का कार्य दिया गया है।यह तंत्र सूचना के सत्यापन के लिए मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसी विभिन्न फीडर इकाइयों पर निर्भर करता है और मंत्रालयों में पीआईबी अधिकारियों के माध्यम से उनसे जुड़ा हुआ है। समिति इस बात से चिंतित है कि गलत/फेक न्यूज की समस्या भारत में एक चिंतित करने वाली प्रवृत्ति बन गयी है जहां इस सामग्री में योगदान करने वाले न केवल वेबसाइटों के स्वामी हैं बल्कि वैयक्तिक अंशदाता भी हैं जिन पर नियंत्रण रखना एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, केंद्र सरकार ने अपने 9 नवंबर 2020 की अधिसूचना द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित कार्य आवंटन नियम, 1961 में संशोधन कर दिया है और इसमें ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध किए गए डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया, फिल्म और दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर समाचार और समसामयिक जानकारी से संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की है।

इस संबंध में पीआईबी के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में तथ्य जांच इकाई की स्थापना की सराहना करते हुए समिति चाहती है कि मंत्रालय वायरल वीडियो/समाचार, जो सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करते हैं, के प्रति सतर्क रहने के साथ-साथ और अधिक एफसीयू खोले जाएं, समिति यह भी सिफारिश करती है कि ‘‘फेक न्यूज" शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाए।”

<u>सरकार का उत्तर</u>

नवंबर, 2019 में पत्र सूचना कार्यालय के तहत एक फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना की गई है। यह यूनिट स्वतः संज्ञान और नागरिकों द्वारा अपने पोर्टल पर या ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए प्रश्नों के माध्यम से फर्जी खबरों का संज्ञान लेती है। केंद्र सरकार से संबंधित मामलों में यह यूनिट प्रासंगिक प्रश्नों का उचित जानकारी के साथ उत्तर देती है या अन्य मामलों में उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित करती है। इस यूनिट का ट्विटर अकाउंट @PIBFactcheck भी है और यह नियमित आधार पर फर्जी खबरों के मामलों का भंडाफोड़ करता है। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचारों को कवर करती है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने लगभग 30,000 कार्रवाई योग्य प्रश्नों का उत्तर दिया है। वास्तव में दिल्ली में पीआईबी मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित फैक्ट चेक यूनिट देश भर में गलत सूचना/फर्जी खबर की घटनाओं को देखते हैं ।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. **19** देखें)

(सिफारिश क्रम संख्या **21)**

समिति सीईओ, प्रसार भारती के इस मत का समर्थन करती है कि नियामक तंत्र में फेक न्यूज की जांच और वास्तविक समय पर हस्तक्षेप करने में सक्षम होने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाए, तदनुसार, उपयुक्त कदम उठाए जाने के साथ-साथ 'ऑल्टन्यूज', 'चेक फॉर स्पैन', 'एसएमहॉक्सलेयर' आदि जैसी गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से झूठी खबरों की जांच के क्षेत्र में मौजूदा विशेषज्ञता का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह ध्यान में रखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आदि जैसे देशों में फेक न्यूज़ विरोधी कानून है, समिति चाहती है कि मंत्रालय उनके कानूनों का अध्ययन करे और फेक न्यूज जैसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान बनाए।"

<u>सरकार का उत्तर</u>

फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के पास सांविधिक और संस्थागत तंत्र हैं। प्रिंट मीडिया के लिए, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद ने 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड' तैयार किए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ सटीकता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर जोर देते हैं।

टेलीविजन के लिए, सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें यह भी शामिल है कि कार्यक्रमों में कुछ भी अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, झूठा और विचारोत्तेजक अप्रत्यक्ष और अर्धसत्य नहीं होना चाहिए।

डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए, सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को आईटी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल समाचार प्रकाशकों द्वारा पालन के लिए आचार संहिता प्रदान करता है।

आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर सरकार उचित मामलों में कार्रवाई करती है। यह समय-समय पर मीडिया को निर्धारित संहिताओं का पालन करने के लिए एडवाईजरी भी जारी करता है।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. **22** देखें)

अध्याय V

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

III. <u>इलेक्ट्रॉनिक मीडिया</u>

(क) टेलीविजन चैनल

(i) टीवी चैनलों में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए मौजूदा संहिता/अधिनियम/प्रणाली

(सिफारिश क्रम संख्या **8)**

समिति नोट करती है कि निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (सीटीएन अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए केबल टीवी नेटवर्क नियम, 1994 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के संदर्भ में विनियमित किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सीटीएन अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा सांविधिक अधिदेश प्राप्त है ताकि टीवी चैनलों द्वारा की जाने वाली सामग्री को विनियमित किया जा सके। इसके अलावा सरकार ने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश, 2011 तैयार किए हैं जिसके अंतर्गत निजी टीवी चैनलो को भारत में अपलिंक/डाउनलिंक करने की अनुमति दी जाती है। दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि चैनल सीटीएन अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करें।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा समिति के ध्यान में लाया गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रेस काउंसिल एक सांविधिक निकाय है और उसका अस्तित्व प्रिंट मीडिया के लिए है, लेकिन टेलीविजन के लिए ऐसा कोई सांविधिक निकाय नहीं है। जबकि एनबीएसए और एनबीए ने एक

संगठन तैयार किया है, परंतु इसे सरकार द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे कई चैनल है जो एनबीए के सदस्य नहीं है। अधिनियम में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाएगा कि किसी भी शिकायत पर कार्रवाई कार्यकारी आदेश के अनुसार होने की बजाय नियम से हो| सीटीएन (विनियमन) अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों को 15-01-2020 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक दायरे में रखा गया था और मंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि वह हितधारकों/आम जनता से प्राप्त टिप्पणियों की जांच कर रहा है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को कवर करने वाले पूरे प्रसारण क्षेत्र के लिए एक व्यापक संविधि बनाने पर भी चर्चा हो रही है, जो कि अभी जांच के अधीन है। समिति यह चाहेगी कि मंत्रालय मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995, जो 25 वर्ष पुराना है, में आवश्यक संशोधन करने के मामले पर शीघ्रतापूर्वक ध्यान दे और यह सुनिश्चित करते हुए कि उक्त अधिनियम की व्याख्या और कार्यान्वयन अस्पष्टता वाले क्षेत्रों का विधिवत समाधान हो यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित संशोधन उपभोक्ता हितैषी हों। इससे प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाते हुए हितधारकों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। समिति की इच्छा है कि इस संबंध में हुई प्रगति से उसे अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

(सिफारिश क्रम संख्या **13)**

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ने कई दशकों से एक कॉर्पोरेट के रूप में प्रसार भारती को पूर्व-दिनांकित किया है, तथा उनके पास पहले से ही मौजूदा कार्यक्रम संहिता और वाणिज्यिक संहिता थे, जिसका वे अपनी समाचार और सामान्य प्रोग्रामिंग के लिए कड़ाई से पालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त टेलीविजन अपने दृश्य घटक के कारण केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों, 1994 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करता है। इसके अलावा, आकाशवाणी संहिता बहुत पुराना और अधिक व्यापक है और समूचे

संगठन में वही सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत भी रही है। सामान्य तौर पर प्रसार भारती में, नैतिकता संबंधी शिकायतों के अधिक मामलें नहीं आते है। क्योंकि अधिकांश समाचार प्रचालनों का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता हैं जो अनुशासनात्मक नियमों के प्रति जवाबदेह होते है। परिपाटी के रूप से इन शिकायतों का निस्तारण दूरदर्शन और आकाशवाणी और प्रसार भारती सचिवालय के महानिदेशालयों के स्तर पर होता रहा है तथा बोर्ड शायद ही कभी संपादकीय मामलों में शामिल हुआ हो।

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मौजूदा सहिंता पर्याप्त हैं, हालांकि, इस अधिनियम के संरेखण के लिए कुछ पहलुओं की आवश्यकता महसूस की जाती है क्योंकि ये सहिंताएं प्रसार भारती के अस्तित्व से पहले तैयार की गई थी। यह बताया गया कि अपेक्षित प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समिति चाहती है कि प्रसार भारती जहां भी आवश्यक हो, अधिनियम के साथ संहिताओं के संरेखण की अपेक्षित प्रक्रिया तत्काल शुरू करे और उन्हें इस दिशा में उठाए गए कदमों और उस पर हुई प्रगति से अवगत कराया जाए। यह समिति द्वारा संस्तुत समग्र समीक्षा और पुनर्संरचना का अंश होगा।

<u>सरकार का उत्तर</u>

प्रसार भारती ने संहिता को अधिनियम के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तदनुसार, प्रसार भारती के लिए कार्यक्रम संहिता का एक मसौदा आंतरिक परामर्श के लिए परिचालित किया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय यूनिटों से टिप्पणियां मांगी गई हैं जो विभिन्न आकाशवाणी और डीडी चैनलों पर इन संहिताओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंड II) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

<u>टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी):-</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 16)

समिति नोट करती है कि टेलीविजन रेटिंग पाइंट (टीआरपी) के रूप में टेलीविजन श्रोताओं के मापन का तंत्र 1993 से अस्तित्व में रहा है जब दूरदर्शन श्रोताओं की रेटिंग दूरदर्शन श्रोता अनुसंधान यूनिट द्वारा एकत्र की जाती थी। इसे इंडियन नेशनल ऑडियंस ट्रेनिंग मेजरमेंट

(आईएनटीएएम), टेलीविजन ऑडिएंस मेजरमेंट मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (टीएएम), ऑडियंस मेजरमेंट एंड एनालिटिक्स लिमिटेड (एएमएपी) आदि जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा अपनाया गया था। टीएएम सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 16.01.2014 को टी आर पी एजेंसियों के लिए जारी दिशानिर्देश से पहले देश में धीरे-धीरे एकमात्र टी आर पी एजेंसी बन गयी। बीएआरसी को 28.7.2015 को मंत्रालय द्वारा नीतिगत दिशानिर्देशों के अंतर्गत 10 वर्ष की अवधि के लिए टेलीविजन रेटिंग एजेंसी का प्रमाणपत्र दिया गया था। बीएआरसी एक स्वनियमित अलाभकारी निकाय है जिसका निर्माण आई बी एफ, द इंडियन सोसाइटी फॉर एडवरटाइजर (आईएसए) और एडवरटाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा किया गया है। बीएआरसी तकनीकी समिति, निगरानी समिति, अनुशासनिक परिषद और निदेशक मंडल के माध्यम से कार्य करता है। प्रसार भारती के सीईओ द्वारा दिये गए उत्तर के अनुसार जब दर्शकों की संख्या अधिक होती है तब मापन प्रणाली काफी सटीक होती है, जो कि यह दर्शाती है कि क्या देखा जा रा रहा है। बीएआरसी मे कई वर्षों में नमूनों में वृद्धि की है और वर्तमान में बीएआरसी 44,000 घरों की रेटिंग कर रहा है। डिजिटल जगत में विशेष रूप से जनगणना वार मापन किया जाता है। गूगल या फेसबुक इसका मापन समान रूप से करता है और यहां हर किसी का मापन किया जाता है न कि केवल नमूनों का तथापि, टैलीविजन पर बहुत सी चुनौतियां हैं क्योंकि इसके लिए रिटर्न पाथ डेटा और सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता होती है। हर सेट टॉप बॉक्स का मापन करना और प्रत्युत्तर देना पड़ता है किंतु यहां निजता के मामले होते हैं। अतः यह जटिल स्थिति है किंतु वैश्विक तौर पर कतिपय प्रयोग हो रहे हैं। समिति का ध्यान इस तरफ भी दिलाया गया कि भारत में कुछ ऑपरेटर जैसे टाटा स्काई और एयरटेल भी अपने-अपने सेट टॉप बॉक्सों के माध्यम से मापन करते हैं हालांकि वे आंकड़ों को बीएआरसी के साथ साझा नहीं करते हैं। इसके अलावा, 80 प्रतिशत घरों में सेट टॉप बॉक्सों का उपयोग होता है।

तथापि, समिति टीआरपी मापने की वर्तमान प्रणाली से संतुष्ट नहीं है और यह बीएआरसी द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपकरणों में छेड़छाड़ के माध्यम से कुछ टीवी चैनलों द्वारा टीआरपी के हेर-फेर के हाल में हुए कथित प्रकरणों की ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहती है। यह वर्तमान प्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्न उठती है और स्पष्ट रुप से इंगित करती है कि किस प्रकार बार्क के अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ चैनलों द्वारा रेटिंग में हेर-फेर की जाती है। समिति इस पर गंभीरता से विचार करते हुए चाहती है कि मंत्रालय टीआरपी प्रणाली की पूरी

प्रक्रिया की जांच करे एवं इसके मापन के लिए पारदर्शी और जबावदेह प्रणाली बनाए। समिति यह भी पाती है कि वर्तमान टीआरपी प्रणाली शहरी क्षेत्रों की ओर अत्यधिक झुकी हुई है और नमूने के आकार को बढ़ाते हुए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को समान वेटेज देख कर मापन की इस प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय टीआरपी प्रणाली में सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपयुक्त तकनीकी उपाय, यथा स्क्रैंबलर्स के उपयोग, द्वारा सेट टॉप बॉक्स में निजता के मुद्दों का समाधान खोजने की संभावना तलाशने सहित टीआरपी प्रणाली में अपनाई गई वैश्विक पद्धति का अध्ययन करें। समिति ने बीएआरसी की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति चाहती है कि भारत सरकार द्वारा आयुक्त बीएआरसी जांच समिति की रिपोर्ट को उसके सामने परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाए।

सरकार का उत्तर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, बेहतर मानक और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए व्यापक दिशानिर्देश / मान्यता तंत्र के लिए अगस्त 2012 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से सिफारिशों का अनुरोध किया। ट्राई की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी, 2014 को भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए। उपरोक्त दिशानिर्देशों को देखते हुए, 28 जुलाई, 2015 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंन्स रिसर्च काउंसिल (बार्क) के टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकरण प्रदान किया गया। बार्क, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ), इंडियन सोसाइटी फॉर एडवर्टाइजर्स (आईएसए) और एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएएआई) द्वारा बनाई गई एक स्व-विनियमित, गैर-लाभकारी संस्था है। बार्क तकनीकी समिति, निरीक्षण समिति, अनुशासनात्मक परिषद और निदेशक मंडल के माध्यम से कार्य करता है।

अक्टूबर 2020 में, विभिन्न टीवी चैनलों द्वारा टेलीविजन रेटिंग प्वांइटों में हेराफेरी करने के संबंध में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ समाचार प्रकाशित हुए थे और मुंबई पुलिस सहित पुलिस एजेंसियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने 09.10.2020 को बार्क से एक रिपोर्ट मांगी। बार्क ने 09.10.2020 को इस मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि पैनल की शुचिता बनाए रखने के लिए अनुशासनात्मक परिषद की कार्रवाई के अलावा, बार्क ने नमूनों से छेड़छाड़ में शामिल लोगों के विरुद्ध सक्रिय रूप से कार्रवाई की है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम में अपने विक्रेता के माध्यम से अब तक 11 प्राथमिकी दर्ज की है। बार्क ने कहा कि प्राथमिकी में उल्लिखित संदिग्ध पैनल घरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही है। बार्क ने कहा कि वे जांच एजेंसी को सभी आवश्यक डेटा, दस्तावेज, सूचना और आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं।

कुछ वर्षों से भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों के संचालन के आधार पर, विशेष रूप से भारत में टेलीविजन दर्शक माप और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा पर दिनांक 28.04.2020 को ट्राई की हालिया सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत में तकनीकी प्रगति/उपायों दिशानिर्देशों पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि प्रणाली को ठीक किया जा सके, और आगे एक विश्वसनीय तथा पारदर्शी रेटिंग प्रणाली के लिए प्रक्रियाओं को और मजबूत किया जा सके। तदनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), प्रसार भारती की अध्यक्षता में आईआईटी, सी-डॉट और आईआईएम के सदस्यों के साथ 04.11.2020 को एक समिति का गठन किया गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ देश में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी और भारत में मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग प्रणाली के लिए आगे के लिए सिफारिशें करेगी। समिति ने कॉरपोरेट शासन को मजबूत करने और मौजूदा रेटिंग एजेंसी की तकनीकी निगरानी को मजबूत करने, ओपन डेटा इकोसिस्टम / रिटर्न पाथ डेटा, अस्वास्थ्यकर व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर अंकुश लगाने, नवाचार को बढ़ावा देने, नए व्यापार मॉडल और प्रतिस्पर्धात्मकता आदि पर सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशों में ट्राई की सिफारिशों सहित उन्हें भेजे गए अन्य मुद्दों पर भी विचार किया गया है।

इसके अलावा, बार्क ने इस मंत्रालय को अवगत कराया है कि उसने अपने कॉर्पोरेट शासन में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे रेटिंग प्रक्रिया से प्रबंधन को पूर्ण रूप से अलग रखना, व्यवहारिक रूप से प्राप्त सांख्यिकीय मापदंडों द्वारा आउटलियर सुधार और बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप या अपवाद के स्वचालित प्रक्रिया। यह एक सतत प्रक्रिया है और सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार नीति निर्धारण किए जाते हैं।

इसके अलावा, मैसर्स ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने अपनी प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल, निरीक्षण तंत्र में संशोधन किया है और शासन संरचना आदि में बदलाव शुरू किया है। स्वतंत्र सदस्यों को शामिल करने की गुंजाइश बनाने के लिए बार्क द्वारा बोर्ड और तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया गया है। स्थायी निगरानी समिति का भी गठन किया गया है। डेटा के लिए एक्सेस प्रोटोकॉल को नया रूप दिया गया है और कड़ा किया गया है।

बार्क द्वारा समाचार चैनलों के लिए टीआरपी रेटिंग जारी करना 8-12 सप्ताह (15.10.2020 से प्रभावी) के लिए रोक दिया गया था, जिसके दौरान इसकी तकनीकी समिति को इस पद्यति के लिए डेटा रिपोर्टिंग मानकों की समीक्षा और संबंर्धन करना था। अब बार्क ने संकेत दिया है कि इसके द्वारा किए गए परिवर्तनों के मद्देनजर, वे नए प्रस्तावों को समझाने के लिए संबंधित क्षेत्रों से संपर्क कर रहे हैं और नए प्रोटोकॉल के अनुसार वास्तव में रिलीज शुरू करने के लिए तैयार हैं। बार्क ने यह भी अवगत कराया है कि वे 'समाचार और विशेष रुचि की पद्यतियां' के लिए नए प्रस्तावों को समझाने के लिए संबंधित क्षेत्रों से संपर्क कर रहे हैं और साप्ताहिक समाचार रेटिंग को फिर से शुरू करने के लिए उसे न्यूनतम 10 सप्ताह की आवश्यकता होगी।

इस मंत्रालय ने बार्क को 12.1.2022 को सही रुझानों की निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रस्तुति हेतु समाचार रेटिंग तुरंत जारी करने और पिछले तीन महीनों के आंकड़ों को मासिक प्रारूप में जारी करने के लिए कहा है। संशोधित प्रणाली के अनुसार, समाचार और विशिष्ट विधाओं की रिपोर्टिंग 'चार सप्ताह की रोलिंग औसत अवधारणा' पर होगी।

इस मंत्रालय ने दिनांक 12.01.2022 के आदेश द्वारा टीआरपी सेवाओं के उपयोग के लिए रिटर्न पाथ डेटा (आरपीडी) क्षमताओं का लाभ उठाने के विचार से, सीईओ, प्रसार भारती की अध्यक्षता में एक 'संयुक्त कार्य समूह' का भी गठन किया है, जैसा कि ट्राई और टीआरपी समिति

की रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित भी है। समूह चार महीने के समय में अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय को सौंपेगा।

[सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. एन-18013/2/2015-बीसी-II (खंडII) दिनांक 21 फरवरी, 2022]

नई दिल्ली; **प्रतापराव जाधव,**

8 फरवरी, 2023 **सभापति,**

19 माघ,1944 (शक) **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति।**

पच्चीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(सत्रहवीं लोक सभा)

[प्राक्कथन का पैरा सं 5 देखें]

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

सिफारिश क्रम सं.: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 और 22

कुल	13
प्रतिशत	56.52

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों के देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सिफारिश क्रम सं.: 23

कुल	01
प्रतिशत	4.35

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

सिफारिश क्रम सं.: 3, 6, 7, 14, 20 और 21

कुल	06
प्रतिशत	26.09

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

सिफारिश क्रम सं.: 8, 13 और 16

कुल	03
प्रतिशत	13.04